(पृष्ठ 28)
0k"k % 41(vid % 5 (ebZ % 2019(eY; % n l #lk,

सीटू मजदूर

स्थापना रैली, कोलकाता - 1970

CITU

1970 - 2020

मजदूर किसान संघर्ष रैली - 2018

अभिलेखागार से

सीटू का स्थापना सम्मेलन

एटक के जनरल कौंसिल सदस्यों और राज्य समिति सदस्यों के 9–10 अप्रैल, 1970 को गोवा में हुए कन्वेंशन के फैसले के अनुसार ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सम्मेलन 28–30 मई को हुआ। यह कोलकता के लेनिन नगर (रणजी स्टेडियम) में हुआ था। एक स्वागत समिति ने इसका आयोजन किया था जिसके अध्यक्ष कॉमरेड ज्योति बसु और कॉमरेड मनोरंजन रॉय उसके महासचिव थे। स्वागत समिति ने 50,000 मजदूरों को समिति का सदस्य बनाया था। बाद में की गई समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि इस सम्मेलन को लेकर मजदूरों में इतना उत्साह था कि जब 2 लाख रुपये जमा करने का आह्वान किया गया तो 3 सप्ताह के कम समय में 3 लाख रुपये इकट्ठा कर दिये गये। सम्मेलन में 18 राज्यों से 8,04,637 सदस्यों और 1759 यूनियनों का प्रतिनिधित्व करते हुए 4,264 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बिरादराना यूनियनों के 116 प्रतिनिधियों और 1134 पर्यवेक्षकों को मिलाकर सम्मेलन में कुल 5514 लोग शामिल हुए थे।

सम्मेलन का दिशा–निर्देश मोहम्मद इस्माईल, सुहरिद मलिक चौधरी, हरिदास मालाकर, ई बालानंदन, बिमलानंद मुखर्जी, ए बालासुब्रह्मयम और एस वाई कोल्हाटकर के अध्यक्ष मंडल ने किया था। पी. राममूर्ति ने रिपोर्ट पेश की थी जिसे पहले ही अंग्रेजी, हिन्दी, बांग्ला, उर्दू, तमिल व मलयालम में प्रतिनिधियों को दिया जा चुका था। सम्मेलन की सभी चर्चाओं व बहसों का प्रतिनिधियों के लिए सभी भाषाओं में संक्षिप्त अनुवाद किया गया था।

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के नाम से एक नये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव सम्मेलन में 30 मई को कॉमरेड मनोरंजन रॉय (पश्चिम बंगाल) ने पेश किया था तथा ई बालानंदन (केरल) ने इसका समर्थन किया था जिसे तालियों की गड़गड़ाहट और नारों की गूँज के बीच सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

सम्मेलन ने बी.टी. रणदिवे को अध्यक्ष, पी राममूर्ति को महासचिव तथा कमल सरकार को कोषाध्यक्ष चुना था। मोहम्मद इस्माईल, एस वाई कोल्हटकर, ई बालानंदन, सुहरिद मलिक चौधरी और सुधिन कुमार को उपाध्यक्ष तथा एम के पंधे, मनोरंजन रॉय तथा नीरेन घोष को सचिव चुना गया था। सम्मेलन ने 158 जनरल कौंसिल सदस्यों का चुनाव किया था जिन्होंने 33 सदस्यीय वर्किंग कमेटी का चुनाव किया था। वर्किंग कमेटी में कॉ. ज्योति बसु व समर मुखर्जी शामिल थे। 31 मई को बिग्रेड परेड मैदान में 10 लाख मजदूरों की एक विशाल रैली आयोजित की गई थी।

सीटू का 50वाँ वर्षः प्रथम ट्रेड यूनियन केंद्र का 100वाँ वर्ष

संघर्षों व बलिदानों के 100 वर्ष : वर्गीय एकता के लिए संघर्ष के 50 वर्ष

- 30 मई, 2019 से सीटू की स्थापना का 50वाँ वर्ष शुरू होता है;
- 31 अक्टूबर, 2019 को प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र की स्थापना का 100वाँ वर्ष शुरू होगा।
- सीटू ने वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों व गतिविधियों के माध्यम से सीटू की स्वर्ण जयंती व प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन केंद्र की शतवार्षिकी को मनाने का निर्णय किया है।
- इनके लिए *''संघर्षों व बलिदानों के 100 वर्षों को; तथा वर्गीय एकता के लिए लड़ाई के 50 वर्षों को आगे बढ़ाओ''* का नारा दिया गया है।
- समारोहों की शुरुआत 30 मई को 2 बजे नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में होने वाली सभा से होगी।

सीटू मजदूर

lhvkbZVh;w dk eq[ki=

मई 2019

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

~~के हेमलता~~

कार्यकारी सम्पादक

~~जे एस मजुमदार~~

सदस्य

तपन सेन,
एम एल मलकोटिया,
कश्मीर सिंह ठाकुर,
पुष्पेन्द्र त्यागी,
एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

ebZ fnol ?kks"k.kki=] 2019	5
etnwj oxZ dh ,drk ds fy, la?k"kZ ds 50 o"kZ	
& dk- gjeyrk	9
Hkkjrh; etnwj oxZ ds la?k"kZ vkSj dE;qfu;ksa ds 100 o"kZ	
& tsl,l- etqenkj	12
egRrk'kkyh ds lkFk /kks[kk/kMh	
& riu lsu	16
vUrjk"Vªh;	19
m|ksx ,oa {ks=	20
miHkksDrk ewY; lwpdkad	26

सम्पादकीय

अपने आपको पुर्नसमर्पित करते हुए

lhVw us] 2019 ls 'kq: gq;h Hkkjr dh igyh VªsM ;wfu;u dkaxzsl dh lkoh vkSj lhVw dh LFkkiuk dh Lo.kZ t;Urh o"kZxkB dk volj ij lky Hkj rd lekjksgiwoZd vk;kstuk dk vkg~oku fd;k gSA

Hkkjr esa etnwj oxZ dk çknqHkkZo Hkkjr dh çk—frd lEink ds nksgu] jsy vkSj leqæh ifjogu dh LFkkiuk rFkk lapkj] rFkk tqV tSls i.kdfxtx m|ksx vkSj fczfV'k iwath }kjk 'kq) viuk oxhZ; fgrksa ds fy, LFkkfir bathfu;fjax vkfn m|ksxksa dh dk;eh ds lkFk gqvk FkkA ;g Bhd ogh le; Fkk tc vkfnokfl;ksa foæksgksa vkSj Hkkjr ds çFke Lora=rk laxzke dk le; FkkA

;g jk"Vªh; Lora=rk vkanksyu ds lkFk mlls lgdkj cukrs gq, c<rk jgkA fczfV'k xqykeh ds dky esa etnwj oxZ dh ekaxksa rFkk jk"Vªh; eqfä vkanksyu esa g;h gMrkysa] la?k"kZ vkSj dqckZfu;k Hkkjr ds etnwj vkanksyu dk xkSjo'kkyh bfrgkl gSA vktknh ds ckn blus eukQs ds Hkw[ks 'kks"kdksa rFkk turk ds mRihM+dksa ds fo#) oxhZ; rFkk tueqíksa dks ysdj oxZ la?k"kZ fd;sA

Bhd blh ds lkFk blus VªsM ;wfu;u vkanksyu ds vanj oxhZ; utfj;s dh fgek;r vkSj lS/kkafrd iFk ds fo#) oSpkfjd la?k"kZ NsM+s blus QwV Mkyus] oxhZ; uhfr ls VªsM ;wfu;u vkanksyu pykus okyh uhfr;ksa vkSj /kkjk dks vyx&Fkyx djus dh 'kkld oxZ dh lkft'kksa ds fo#) oxhZ; ,drk dk;e djus dk la?k"kZ pyk;kA 'kkld oxZ dh dkf'k'ksa gj ckj foQy gq;hA

vkt Hkh ;g vko';d gks tkrk gS fd ge bfrgkl ls lcd ysa vkSj gj rjg ds oxZ lg;ksxoknh vkSj lS/kkaroknh HkVdko ds çfr lrdZ jgsaA oxZ la?k"kksZ vkSj oxhZ; ,drk dks fdlh <kaps esa ca/ kdj lhfer :i ugha fn;k tk ldrk & ;g nck gS, jgrs gSa vkSj pqukSrh rFkk dk;Zokgh ds O;ogkj esa mrkjus ds fy, la?k"kksZ dh njdkj j[krs gSaA ;g gekjs jkLrs ds dkeksa vkSj vey ds fgLls gksus pkfg,A

2019 ebZ fnol ij ge bl egku mís'; ds fy, viuk vkidks iqu%lefiZr djrs gSA

शोक संवेदना

कॉमरेड रमणिका गुप्ता

सीटू को अनुभवी ट्रेड यूनियन नेता कॉमरेड रमणिका गुप्ता के न रहने का गहरा दुखः है। लम्बी बीमरी के बाद 26 मार्च, 2019 को 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अपने पूरे जीवन में वे मजदूरों व सामाजिक रुप से उत्पीड़ित तबकों विषेशकर आदिवासियों व दलितों के लिए आर्थिक व सामाजिक न्याय के लिए संकल्प के साथ लड़ीं। उनके निधन से मजदूरों व जनता के दबे–कुचले तबकों ने अधिकारों व उत्थान के लिए उठने वाली एक ताकतवर आवाज को खो दिया है।

उनका सबसे बड़ा योगदान हजारीबाग कोलफील्ड में कोयला माफिया के शिकंजे से कोयला मजदूरों विशेषकर भराई–उतराई मजदूरों को मुक्त कराना, कोलफील्ड लेबर यूनियन बनाने उसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश तक फैलाने और आगे चलकर उसका सीटू में विलय कर देने के रुप में था जिसके लिए उन्होंने भाड़े के अपराधियों के हमलों का सामना किया था।

कामरेड रमाणिका गुप्ता सीटू राज्य समिति की पदाधिकारी, उसकी राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी की और ऑल इंडिया कोल वर्किंग फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की सदस्य थीं। वे सी पी आइ (एम) की झारखंड राज्य समिति की सदस्य थीं; वे दो बार एम एल सी और बाद में अविभाजित बिहार के हजारीबाग जिले में मांडू विधानसभा क्षेत्र से एम एल ए चुनी गई थीं।

कॉमरेड रमणिका गुप्ता हिन्दी की एक उर्वर लेखिका, दलित साहित्य की प्रतिनिधि व कई पुस्तकों की लेखिका थीं और उन्हें कई प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार मिले थे। वे जनवादी लेखक संघ में भी सक्रिय थीं। कॉमरेड रमाणिका गुप्ता ने आदिवासियों के हकों व उनके कल्याण के लिए अनथक कार्य किया; एक अलग न्यास बनाया और उसमें बड़ा सक्रिय कार्य किया।

सीटू दिवंगत नेता कॉमरेड रमणिका गुप्ता को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है और उनके साथियों व परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

कॉमरेड बामपद मुखर्जी

सीटू को जाने–माने नेता और 50 के दशक की शुरुआत से ही आसनसोल–दुर्गापुर औद्योगिक पट्टी में मजदूर वर्ग व वाम आंदोलन का निर्माण करने वाले कॉमरेड बामपद मुखर्जी के निधन से गहरा दुखः पहुँचा है। 13 अप्रैल, 2019 को 98 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका निधन मजदूर वर्ग के संयुक्त संघर्ष के लिए एक भारी क्षति है।

एक स्टील मजदूर के रुप में जीवन की शुरुआत करने वाले कॉमरेड बामपद मुखर्जी ने इस औद्योगिक पट्टी में कोयला, स्टील, एल्युमिनियम व अन्य के उभरते आधुनिक मजदूर वर्ग के लड़ाकू मजदूर संगठनों के निर्माण की अगुवाई करते हुए मालिकों व राज्य प्रशासन के बर्बर दमन का मुकाबला किया था जिसमें कई साथियों की शहादत भी हुई थी। उन्होंने कोयला व स्टील मजदूरों की ऑल इंडिया फेडरेशनों के निर्माण में महती योगदान दिया था। वे कई मुश्किलों के बावजूद 'इसको' के निजीकरण के खिलाफ हुए सफल संयुक्त संघर्ष की संचालक शक्ति थे।

सीटू दिवंगत नेता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है और उनके साथियों व परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

मई दिवस घोषणा पत्र, 2019

इस मई दिवस, मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के दिवस पर, सीटू

सारी दुनिया के मेहनतकश लोगों को गर्मजोशी के साथ **बिरादराना बधाई** देता है

सीटू, नवउदारवाद के हमले, विशेषकर एक दशक से भी ज्यादा से जारी पूंजीवाद के व्यवस्थाजन्य वैश्विक संकट के इस दौर में कड़े संघर्षों के बल पर हासिल अधिकारों के बचाने के **मजदूरों के संघर्षों के साथ खड़ा है।**

इस मई दिवस पर, सीटू

J वेंनेजुएला, सीरिया, फिलस्तीन, इराक, यमन, अफगानिस्तान व अन्य देशों में साम्राज्यवाद नीत हस्तक्षेपों, ध्वंसकारी गतिविधियों, ... **कड़ी से कड़ी भर्त्सना करता है।** ● इन देशों में अमरीकी साम्राज्वाद की कारगुजारियों के खिलाफ लड़ रहे लोगों व तमाम प्रगतिशील ताकतों के साथ **एकजुटता जाहिर करता है;**● अमरीका की मिलीभगत से फिलस्तीन के भू–भागों को हड़पने की **इजरायल की कोशिशों की निंदा करता है;** पूर्वी येरूशलम को इसकी राजधानी व 1967 की सीमाओं के साथ स्वतंत्र, संप्रभु फिलस्तीन राज्य को मान्यता दिये जाने की **माँग करता है।**

J **मजबूती से दोहराता है** कि शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था को परास्त कर एक शोषणविहीन समाजवादी व्यवस्था के लिए सीटू मजबूती से प्रतिबद्ध है।

J समाजवादी देशों में समाजवाद की हिफाजत करने व बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप व आक्रमण के अपनी पसन्द की समाज व्यवस्था का स्वतंत्र व मुक्त होकर चयन करने के वहाँ की जनता के अधिकार के साथ खड़ा है।

J विशेषकर अमरीकी साम्राज्वाद की करतूतों के खिलाफ समाजवादी क्यूबा के संघर्ष के साथ खड़ा है और उसके ऊपर थोपे गये अवैध प्रतिबंधों को हटाने की माँग करता है।

J दुनिया के विभिन्न भागों में दक्षिणपंथी, प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी, नस्लवादी, नव–उदारवादी व आतंकवादी शक्तियों के उभार पर गंभीर **सजगता का आह्वान** करता है; इन शक्तियों को जनता को बांटने तथा नव–उदारवाद के विरुद्ध संयुक्त संघर्षों को तोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी व कारपोरेट वर्गों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है; ● नव–उदारवाद का कोई विकल्प न पेश कर, लोगों के असंतोष का प्रयोग उन्हें आपस में लड़ाकर अपने कारपोरेट आकाओं को फायदा पहुँचाने वाली इन ताकतों के विरुद्ध समूची दुनिया में लड़ रहे लोगों के साथ **चट्टानी एकजुटता के साथ खड़ा है**; ● सारी दुनिया के मजदूर वर्ग व मेहनतकशों से जनता के इन दुश्मनों की पहचान करने और पूरी ताकत के साथ जनता की एकता को बचाने का **आह्वान करता है।**

J विकासशील देशों समेत, **समूची दुनिया के मजदूरों को बधाई** देता है जो अपने अधिकारों, वेतन व काम–काज तथा जीवन की स्थितियों को बचाने के लिए तथा कथित 'कमखर्ची की नीतियों' के खिलाफ बढ़ती संख्या में संघर्षों में शामिल हो रहे हैं; ● भारत के मजदूर वर्ग को 8–9 जनवरी, 2019 की शानदार दो दिवसीय आम हड़ताल के लिए **दिल से बधाई** देता है, देश में नवउदारवाद के शुरु होने के बाद से यह 18वीं देशव्यापी आम हड़ताल थी; ● हड़ताल के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए किसानों, खेतमजदूरों व प्रगतिशील जनता के **सभी तबकों का आभार व्यक्त** करता है; ● रक्षा उत्पादन, टेलीकॉम आदि समेत मजदूरों के कितने ही **अन्य तबकों का आभार व्यक्त कर बधाई देता है** जो तीन दिन तक हड़ताल पर रहे; देश के विभिन्न भागों में डॉयकिन, टोयोटा, यामाहा, प्राइकॉल आदि बहुराष्ट्रीय निगमों की इकाईयों के संघर्षरत मजदूरों के साथ एकजुटता व्यक्त करता है।

J पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल व अन्य राज्यों के **मजदूर वर्ग व जनता को सलाम** करता है जो अपने बुनियादी जनवादी अधिकारों पर शासक वर्गों व उनके गुंडों के हमलों का बहादुरी के साथ प्रतिरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कॉंग्रेस तथा त्रिपुरा में भाजपा के गुंडे वहाँ , विशेषकर वामपंथ के समर्थकों पर शारीरिक हमले कर रहे हैं; लोगों को स्वतंत्र रुप से मतदान

करने की इजाजत न देकर इन राज्य सरकारों ने जनतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। कितने ही वामपंथी कैडरों व समर्थकों पर शारीरिक हमले किये गये हैं, घायल किये गये हैं व हत्यायें की गई हैं। **तथापि,** इन राज्यों में मजदूर वर्ग बराबर ऐसे हमलों का प्रतिरोध कर रहा है। ● **भाजपा,** सुप्रीम कोर्ट सहित संविधानिक निकायों की अनदेखी कर अपनी रुढ़िवादी, प्रतिगामी 'हिन्दुत्व' की विचारधारा को अवसरवादी तरीके से आगे बढ़ाकर केरल में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आर एस एस के गुंडे घृणा व हिंसा को फैलाने की कोशिश में वामपंथी कैडरों पर हमले व उनकी हत्यायें कर रहे हैं।

J=सीटू, देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर, भाजपा शासित राज्यों में दलितों व अल्संख्यकों पर बढ़ते हमलों पर **गुस्सा व्यक्त करता है**; दलितों, आदिवासियों व महिलाओं को दबाकर रखने वाली प्रतिगामी प्रतिबद्धता रखने वाली भाजपा व आर एस एस केवल अपने चुनावी लाभ के लिए दलितों की आँखों में धूल झौंकना चाहते हैं।

J=सीटू, अपने **इस विश्वास को दोहराता है** कि बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक साम्प्रदायिकता व कट्टरता एक दूसरे पर पलते हैं; साम्प्रदायिकता, चाहे किसी भी रंग व झंडे की हो लोगों को बांटती है, उनकी एकता को तोड़ती है, रोजमर्रा के वास्तविक मुद्दों से उनका ध्यान हटाती है, असली अपराधी यानी नवउदारवादी नीतियों व शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ उनके संघर्ष को कमजोर करती है।

J=इन सभी राज्यों में, सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए जीविका व जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को बनाये रखने तथा अपने संयुक्त संघर्षों और देश की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए **अपने कैडरों के प्रतिबद्ध व बराबर प्रयासों की प्रशंसा करता है**।

J=भारी चिंता के साथ नोट करता है कि नवउदारवाद में मेहनतकशों के खून– पसीने से पैदा की गई धन संपदा का कुछ ही लोगों के हाथों में संकेन्द्रण हो रहा है और गैरबराबरी बढ़ रही है; इस दौलत को मेहनतकश जनता के बढ़ते शोषण, दरबारी पूंजीवाद, कर चोरी, सार्वजनिक सम्पत्तियों व प्राकृतिक संपदाओं – जमीन, जंगल, खदान, जल पर कब्जे और गरीब किसानों, आदिवासियों व अन्य की बेदखली कर हथियाया गया है।

J=वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (डब्ल्यू.एफ.टी.यू.) के **'धन–दौलत उसे पैदा करने वाले की'** के नारे के साथ इस मई दिवस को मनाने के आह्वान का **पूरी तरह समर्थन करता है**; ● सीटू, डब्ल्यू.एफ.टी.यू. के ज्यादा लगन वाली वर्गीय उन्मुखता के साथ शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करने के प्रयासों के प्रति अपनी बचनबद्धता दोहराता है।

J=सीटू, इस आघात को व्यक्त करता है कि मुनाफे से संचालित पूंजीवादी व्यवस्था में, मानवता के सामूहिक प्रयासों के बूते हासिल वैज्ञानिक व प्रोद्योगिकीय तरक्की को उसका इस्तेमाल करने वाले कुछ देशों व कारपोरेटों ने हथिया लिया है और ऐसा उन्होंने लोगों के लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने मुनाफों को बढ़ाने और मेहनतकश वर्ग को दरिद्र बनाने के लिए किया है। यह समूची मानवता के लिए शर्म का विषय है कि करोड़ों लोग बेरोजगारी , गरीबी, अशिक्षा, बीमारी से पीड़ित व बेघर हैं तथा कुछ हाथों में इतनी भारी– भरकम दौलत हैं जबकि सीटू , जोर देता है कि ऐसी अमानवीय व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था को जारी रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता है।

इस मई दिवस पर सीटू,

- पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फैंकने में मजदूर वर्ग की भूमिका के बारे में मजदूरों की चेतना को बढ़ाने और शोषण की समाप्ति के लिए होने वाले संघर्ष के लिए मजदूरवर्ग को तैयार करने की **शपथ लेता है**।

इस मई दिवस पर जो हमारे देश भारत में संसदीय चुनावों के बीच आया है,

सीटू-

● देश के मजदूरवर्ग, तमाम मेहनतकशों, प्रगतिशील, देशभक्त व भविष्यकामी लोगों से

- मजदूर विरोधी, जन–विरोधी व राष्ट्रविरोधी भाजपा को निर्णायक रुप से परास्त करने का आह्वान करता है जिसने आर एस एस द्वारा संचालित साम्प्रदायिक व विभाजनकारी नीतियों के साथ ही कारपोरेट आदेशित नवउदारवादी एजेंडे को आक्रामक रुप से आगे बढ़ाया है ।

- सीटू, जनता से अपील करता है कि यह **संसद में मेहनतकश जनता के सच्चे दोस्त, वामपंथ की उपस्थिति को मजबूत करें।**

- भाजपा की मोदी सरकार ने अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल में ● मुनाफे के लालची देशी– विदेशी कारपोरेटों के लिए राष्ट्रीय हित को गिरवी रख लोगों की जिन्दगी व जीविका का तहस–नहस कर दिया है। ● यह सरकार रक्षा उत्पादन जैसे अहम सैक्टर समेत देश की अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बर्बाद करने के लिए सक्रिय रही है और इस तरह देश को साम्राज्यवादी स्वामित्व वाली विदेशी पूंजी पर निर्भर बना रही है। ● हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, हमारे प्राकृतिक संसाधनों, हमारी जमीन, हमारी खदानों, जंगलों, समुद्रों को बेरोकटोक शोषण के लिए थाली में रख देशी–विदेशी कारपोरेटों को परोसा जा रहा है जबकि ● हमारे किसान, हमारे आदिवासी, हमारे मुछआरे और हमारे मजदूर अपनी आजीविका का एकमात्र स्रोत खो रहे हैं।

- वैश्विक स्तर पर नवउदारवाद की साख के बराबर ध्वस्त होते जाने पर भी, भाजपा सरकार ● अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के निर्देश पर 'देश की जनता व उसके संसाधनों की आसान लूट' को बढ़ाने के द्वारा 'इज ऑफ डूइंग बिजनिस' यानी व्यापार करने को आसान बनाने के एक सूत्री मकसद को आगे बढ़ाने के लिए नवउदारवाद को आक्रामक ढंग से लागू कर रही है। ● मजदूरों के बुनियादी श्रम व ट्रेड यूनियन अधिकार , जनता के जनवादी व संवैधानिक अधिकार गंभीर हमले की चपेट में हैं। ● मजदूरों पर गुलामों जैसी शर्तें थोपने की कोशिश है। असहमति को पैरों तले कुचला जा रहा है। ● मानवधिकार कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है उन पर हमले किये जा रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है और यहाँ तक कि उन्हें मार डाला जा रहा है।

- भाजपा शासन के तहत घनीभूत हुए साम्राज्यवाद नीत नवउदारवाद के इन गुजरे वर्षों में;

• रोजगार विहीन व रोजगार छीनने वाली वृद्धि सामने आयी है

• नया रोजगार सृजित करने वाला निजी निवेश नहीं हुआ; उद्योग बंद हो चुके हैं जिससे बेरोजगारी चिंताजनक स्तर पर पहुँच गई है, खासतौर पर युवा बेरोजगारी। आज बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों में सबसे ऊँचे स्तर पर है

• ठीक–ठाक, सम्मानजनक व स्थायी रोजगार गायब हुआ है

• ज्यादातर मजदूरों के वेतन में ठहराव और यहाँ तक उसमें गिरावट आयी है

• वेतन, आय व धन की गैर–बराबरी बढ़ी है

• किसानों की आत्महत्यायें व ग्रामीण संकट जारी रहा है

• मनरेगा में काम घटा है

• अर्थव्यवस्था धीमी हुई है

इस मई दिवस पर सीटू,

✓ मजदूरों, किसानों, खेतमजदूरों, युवाओं, छात्रों यानी समाज के सभी तबकों द्वारा अपनी आजीविका व काम व जीवन के हालातों को बचाने के लिए किये गये बढ़ते संघर्षों का स्वागत करता है; सीटू अपने संवैधानिक व जनवादी अधिकारों को बनाये रखने के लिए दलितों व आदिवासियों के संघर्षों समेत समाज के विभिन्न तबकों के बढ़ते संघर्षों का **स्वागत करता है**

✓ **सीटू, मजदूर वर्ग व मेहनतकश जनता से आह्वान करता है** कि चुनाव के बाद जो भी सरकार सत्ता में आये, वे, नवउदारवादी निजाम को हराने के लक्ष्य के साथ नीतियों की दिशा को 'कारपोरेट हितैषी से' जन–हितैषी की ओर बदलने के लिए अपने संयुक्त संघर्षों को और तेज करें।

✓ **सीटू, जोर देता** है कि इस बदलाव को लाने के लिए देश के पास जरुरी संसाधन हैं; उसके पास विशाल मानव संसाधन है; उसके पास हमारे युवाओं, हमारे पुरुषों व महिलाओं को लाभदायक रोजगार में लगाने तथा उन्हें उचित न्यूनतम वेतन प्रदान करने के लिए, सभी को भोजन, आवास, शिक्षा व स्वास्थय प्रदान करने के लिए, सभी के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, सभी जरुरतमंदों के लिए पेंशन तथा एक अच्छे व सम्मानजनक जीवन के लिए सभी बुनियादी जरुरतें पूरी करने के लिए वित्तीय संसाधन हैं।

इस मई दिवस पर सीटू,

• **अपने इस दृढ़ विश्वास को दोहराता है** कि आज देश में मजदूरवर्ग व मेहनतकश जनता के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सामना करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष की जरुरत है – नवउदारवाद के विरुद्ध संघर्ष, विभाजनकारी साम्प्रदायिक व जातिवादी ताकतों के विरुद्ध संघर्ष तथा सत्तावाद के खिलाफ संघर्ष।

• सीटू, इन चुनौतियों का प्रभावी मुकाबला करने के लिए देश में समूचे मजदूरवर्ग को लामबंद करने वाली **अपनी प्रतिबद्धता घोषित करता है**।

• मेहनतकशों के सभी तबकों की एकता को मजबूत व व्यापक करने और उन्हें संयुक्त संघर्षों में लामबंद करने की **प्रतिबद्धता को दोहराता** है; ऐसा करना, जनविरोधी सामाजिक, आर्थिक– राजनीतिक निजाम के खिलाफ प्रतिरोध के संघर्ष को नई ऊंचाई पर ले जाने की पूर्व शर्त है।

• मजदूरों, गरीब किसानों व खेतमजदूरों का भारी शोषण करने वाली नवउदारवादी नीतियों और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष के लिए इन तबकों की एकता की **जरूरत को दोहराता** है और इस दिशा में काम करने का संकल्प दोहराता है।

• सीटू, संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन की मजबूती के लिए स्वतंत्र अभियानों व पहलकदमियों के साथ–साथ मेहनतकशों की हरसंभव व्यापक एकता को हासिल करने के लिए नवउदारवादी नीतियों का ठोस विकल्प पेश कर संयुक्त संघर्षों को मजबूत करने के लिए **संकल्पबद्ध** है।

• सीटू, देश में पहले राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केन्द्र की स्थापना के **शताब्दी वर्ष** तथा पूरे 2019–20 के दौरान सीटू की स्थापना के **पचासवें वर्ष** को **''संघर्ष व बलिदान के 100 वर्ष – मजदूर वर्ग की एकता के संघर्ष के 50 वर्ष''** की थीम के साथ **''एकता व संघर्ष''** पर केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों के माध्यम से मनाने का संकल्प लेता है।

• अपने इस विश्वास को दोहराता है कि ऐसे विशाल संघर्षों का निर्माण और उन्हें लगातार आगे ले जाने से ही ताकतों के संतुलन में मजदूरवर्ग के पक्ष में व्यापक बदलाव की ओर जाया जा सकता है।

2019 के इस मई दिवस पर, सीटू भारत के मजदूर वर्ग से अपील करता है कि:

➢ नवउदारवादी नीतियों को हराने तथा मजदूर हितैषी जन हितैषी वैकाल्पिक नीतियों के लिए **एकता व संघर्ष को मजबूत करें**

➢ **मेहनतकशों के सभी तबकों– मजदूरों, खेतमजदूरों गरीब किसानों के बीच एकजुटता को मजबूत करें;** गाँव व जिला समेत सभी स्तरों पर मजदूरों व किसानों के मजबूत संघर्षों को विकसित करें

➢ चौकन्नें रहें और एकता को तोड़ने की साम्प्रदायिक व जातिवादी शक्तियों की **तिकड़मों को परास्त** करें

➢ मजदूर वर्ग व मेहनतकश जनता के सभी तबकों के **असली दुश्मन** – पूंजीवादी व्यवस्था और इसे बढ़ाने वाली राजनीतिक शक्तियों की **पहचान करें**; इस शोषणकारी व्यवस्था को बदलने के संघर्ष की तैयारी करें

इस मई दिवस पर सीटू

हर प्रकार के शोषण व दमन के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग की एकजुटता व एकता के समर्थन में अपना बैनर ऊँचा करता है

पूंजीवाद व साम्राज्यवाद मुर्दाबाद!

समाजवाद जिंदाबाद!

दुनिया के मजदूरों एक हो

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

मजदूर वर्ग की एकता के लिए संघर्ष के 50 वर्ष

के. हेमलता

—वर्गीय एकता— वर्ग संघर्ष — शोषण की समाप्ति और सामाजिक बदलाव के लिए वर्ग संघर्ष;

इस दृष्टिकोण के साथ 1970 में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) की स्थापना हुई थी। इस वर्ष उसके स्थानपा दिवस, 30 मई से वर्ष भर चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोहों की शुरूआत होगी।

सीटू के संविधान में इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से इस प्रकार दर्ज किया गया है, ''सीटू का विश्वास है कि मजदूर वर्ग के शोषण की समाप्ति केवल उत्पादन के सभी साधनों, वितरण व लेन–देन के समाजीकरण तथा एक समाजवादी राज्य की स्थापना करने से ही हो सकती है। समाजवाद के आदशों के साथ मजबूती से प्रतिबद्ध सीटू हर प्रकार के शोषण से समाज की मुक्ति के पक्ष में खड़ा है।''

आगे, ''वह इस राय में विश्वास करता है कि बिना वर्ग संघर्ष के कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता है और वह बराबर मजदूर वर्ग को वर्ग समझौते के रास्ते पर ले जाने की कोशिशों का विरोध करेगा।

यह दृष्टिकोण समय के साथ सही साबित हुआ है। 50 वर्ष का अनुभव, इसके संविधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की सीटू की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

सीटू का जन्म ऐसे समय हुआ जब देश का मजदूर वर्ग अपने काम और जिन्दा रहने के हालातों पर बढ़ते हमलों के चलते गुस्से और असंतोष से सुलग रहा था। कारखाना बंदी, रोजगार के चले जाने, बढ़ते ठेकाकरण, सामूहिक सौदेबाजी सामाजिक सुरक्षा लाभों आदि के अधिकार के वंचित किये जाने का परिणाम देश के विभिन्न भागों में विभिन्न सैक्टरों मे संघर्षों व हड़तालों के उफान के रूप में सामने आ रहा था।

जूट मजदूर, कोयला मजदूर, स्टील मजदूर, टेक्सटाईल मजदूर, परिवहन मजदूर तथा अन्य उद्योगों के हजारों हजार मजदूर, सभी संघर्ष के रास्ते पर थे।

तब समय की माँग थी इन हमलों के खिलाफ, तत्कालीन सरकार की नीतियों के खिलाफ, शोषणकारी नीति निजाम के विरूद्ध सभी सैक्टरों को एक साझे संयुक्त संघर्ष में लाया जाये। समय की माँग इन हमलों के साथ ही नीतियों के खिलाफ एक शक्तिशाली वर्ग संघर्ष का निमार्ण करने के लिए समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता बनाने की थी।

लेकिन तबके प्रमुत्वशाली वाम ट्रेड यूनियन, एटक के नेताओं ने वर्ग संघर्ष का रास्ता चुनने के बजाय 'दो स्तम्भों की नीति' के नाम पर वर्ग समझौते का रास्ता चुना। वर्ग संघर्ष के रास्ते की ही खिल्ली उड़ाने की कोशिश की गई। एटक के नेतृत्व में वर्गीय एकता और वर्ग संघर्ष का पक्ष लेने वालों को उत्पीड़ित किया गया। और उन्हें गैर लोकतांत्रिक व अशोभनीय तरीके से यूनियनों के नेतृत्व से हटा दिया गया। वर्ग संघर्ष का समर्थन करने वाली यूनियनों को संबंद्धता से वंचित किया गया; उनकी संबद्धता रद्द कर दी गयी।

संगठन को शासक वर्गो के साथ वर्गीय समझौते के रास्ते से दूर हटाने के लगभग 10 वर्ष तक किये प्रयासों के असफल हो जाने के बाद एक ऐसे ट्रेड यूनियन केंद्र को बनाने की आवश्यकता महसूस की गई जो देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन को सरकार की नीतियों के विरूद्ध संयुक्त संघर्ष के रास्ते पर ला सके। 'एकता और संघर्ष' के नारे की गर्जना के साथ सीटू का जन्म हुआ। बी.टी. रणदिवे को इसका प्रथम अध्यक्ष और पी. राममूर्ति को प्रथम महासचिव चुना गया।

अपनी स्थापना के बाद जल्द ही सीटू ने अपनी गतिविधियों व कार्रवाईयों के माध्यम से उन सभी को करारा जवाब दिया जिन्होंने उसे अलग–अलग करने और 'एकता' के उसके नारे की खिल्ली उड़ाने की कोशिश की थी।

- सीटू की स्थपना के फौरन बाद, उसे अलग–थलग करने की कोशिश में, इंटक, एटक, व एच.एम.एस. ने तबके केन्द्रीय श्रम मंत्री की पहल पर सरकार की नीतियों का समर्थन करने के लिए नेशनल कौंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (एन.सी.टी.यू.) का गठन किया था। सीटू ने वेतन जाम, आवश्यक जमा योजना आदि जैसी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए अन्य ट्रेड

यूनियन केन्द्रों व औद्योगिक फेडरेशनों को एकजुट करते हुए यूनाईटेड कौंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस का गठन कर इसका प्रभावी ढंग से मुकाबला किया।

- संयुक्त संघर्षों को आगे ले जाने के लिए सीटू के द्वारा उद्योगों व सेवाओं के दानों क्षेत्रों में अन्य ताकतों को एकजुट करने की तेज व सधन कोशिशों के चलते सीटू को अलग–थलग करने की शासक वर्गों की रणनीति ज्यादा समय तक नहीं चली। तीन वर्ष के भीतर ही एन.सी.टी.यू. ध्वस्त हो गयी। वर्ग समझौते की नीतियों के खिलाफ सीटू की लगातार लड़ाई के चलते देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन के भीतर नया शक्ति संतुलन बनने लगा।

- सीटू की स्थपना के फौरन बाद जो सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त संघर्ष था वह 1974 की रेलवे मजदूरों की हड़ताल थी जिसने देश के समूचे मजदूर वर्ग को प्रेरित किया। अमानवीय दमन व उत्पीड़न का सामना करते हुए बीस दिन चली वह हड़ताल आज भी मजदूर वर्ग के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। सीटू ने रेलवे मजदूरों को देशव्यापी संयुक्त संघर्षों में लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ऐतिहासिक हड़ताल की अगुआई करने वाली रेलवे मेन्स के संघर्षों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एन.सी.सी.आर.एस.) में इंटक को छोड़कर सभी प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनें शामिल थीं। सीटू इसका एक सक्रिय घटक था। सीटू ने एकजूटता कार्रवाईयों कानूनी सहायता तथा उत्पीड़ित मजदूरों को राहत प्रदान करने के अन्य तमाम तरीकों का आयोजन किया।

- आपातकाल के दौरान जनवादी अधिकारों व स्वतंत्रता पर भारी दमन व हमलों के बावजूद सीटू ने आइ.एल.ओ. में शिकायतें दर्ज कराने के माध्यम से ट्रेड यूनियन अधिकारों पर सरकार के हमलों का पर्दाफाश करने के साथ–साथ जन संघर्षो की सक्रिय मदद की।

- दूसरी उल्लेखनीय घटना थी कुख्यात औद्योगिक संबंध विधेयक 1978 के विरूद्ध संयुक्त संघर्ष इसे केन्द्र की जनता पार्टी सरकार लेकर आयी थी और जिसे अंततः उसे छोड़ देना पड़ा था। इस प्रक्रिया में क्राँग्रेस (आई) के शासन के दौरान 1981 में इंटक को छोड़कर सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व स्वतंत्र फेडरेशनों को लेकर नेशनल कैम्पेन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस का गठन किया गया था।

- इस स्पष्ट समझदारी के साथ कि महिला मजदूर को संगठित करना वर्गीय एकता बनाने व वर्ग संघर्ष को मजबूती देने के काम का अभिन्य अंग हैं सीटू ने महिला मजदूरों को संगठित करने की अगुवाई करते हुए इस ओर विशेष ध्यान दिया। सीटू ने 1979 में किसी भी ट्रेड यूनियन की ओर से पहला कामकाजी महिलाओं का राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित किया तथा कामकाजी महिलाओं में अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति गठित की। चार दशक से भी ज्यादा के इस अनथक कार्य का परिणाम है कि सीटू में महिलाओं की सदस्यता 33 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ी है, तथा सभी स्तरों पर इसके निर्णयकारी निकायों समेत सीटू की सभी गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय भागेदारी है।

- इंटक को छोड़कर शेष सभी ट्रेड यूनियन केन्द्रों की ओर से 19 जनवरी, 1982 को हुई पहली देशव्यापी आम हड़ताल ऐसा तीसरा ऐतिहासिक संयुक्त संघर्ष था जिसमें सीटू ने अग्रणी भूमिका अदा की थी। इस हड़ताल के माध्यम से मजदूर वर्ग ने किसानों व खेतमजदूरों की माँगों को उठाते हुए देश के विभिन्न भागों में हड़ताल में उनकी सक्रिय भागेदारी को सुनिश्चित किया था। उस दिन देश के विभिन्न भागों में हड़तालियों पर हुई पुलिस बोलीबारी में खेतमजदूरों सहित 10 मजदूरों की मौत हुई थी।

- सीटू ने संघर्ष के सयुक्त मंच में सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों को एकजुट करने और कमेटी ऑफ पब्लिक सेक्टर ट्रेड यूनियंस (सी.पी.एस.टी.यू.) के गठन में अग्रणी भूमिका अदा की थी।

- देश में नवउदारवादी सुधारों के शुरू होने के समय से ही सीटू ने समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व ऑल इंडिया इंडिपेन्डेंट फेडरेशनों को संयुक्त संघर्षो में एकजुट करने की पहलकदमी की। स्पॉसरिंग कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस ने कई देशव्यापी आम हड़तालों का नेतृत्व किया। 2009 में पहली बार इंटक व बी.एम.एस. समेत सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियने साझे मंच पर आयीं जिसने तीन देशव्यापी आम हड़तालों का नेतृत्व किया जिनमें फरवरी 2013 की दो दिवसीय हड़ताल भी शामिल है। तथापि, केन्द्र में भाजपा की सरकार आने के बाद, बी.एम.एस. संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन से निकल भागी। कुल मिलाकर संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेतृत्व में 18 देशव्यापी आम हड़तालें हुई है जिनमें सबसे हालिया हड़ताल 8–9 जनवरी 2019 की थी जिसमें कोई 20 करोड़ मजदूरों ने भाग लिया और जिसे आम लोगों का व्यापक समर्थन मिला।

- इसके अतिरिक्त, सीटू की विभिन्न फेडरेशनों ने अपने–अपने सेक्टरों–कोयला स्टील, प्लांटेशन, आंगनवाड़ी, आशा, मिड–डे–मील वर्कर्स आदि में हड़तालों समेत मजबूत संयुक्त संघर्ष खड़े करने के लिए पहलकदमी की है।

- सीटू के द्वारा उसके स्वतंत्र अभियानों व संघर्षो को बनाने व उन्हें प्रेरित करने में योगदान दिया है। तथापि, उन परीस्थितियों में भी जब अन्य ट्रेड यूनियनों ने सरकार की लाइन का साथ देते हुए सीटू को अकेला छोड़ा है जैसे कि 1971 की फैमिली पेंशन योजना तथा एम्प्लाईज पेंशन योजना 1995 के मामले में, तो सीटू ने अकेले ही मजदूर वर्ग के हकों की हिफाजत के लिए लड़ने में संकोच नहीं किया।

- मजदूर वर्ग की एकता को विकसित करने के अतिरिक्त, सीटू उत्पादन प्रक्रिया में शामिल अन्य बुनियादी वर्गों– खेतमजदूर, किसान आदि को जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष में उन्हें संयुक्त संघर्षों में शामिल करने के महत्व को समझता है। सीटू, मजदूरों, खेतमजदूरों व किसानों को सयुक्त अभियानों व लामबंदियों में तथा 19 जनवरी 1982 की पुलिस गोलाबारी में शहीद हुए मजदूरों–किसानों के शहादत दिवस के संयुक्त कार्यक्रम अयोजित करता आया है। 5 सितमबर 2018 को हुई मजदूर किसान संघर्ष रैली जो राष्ट्रीय राजधानी में अपनी तरह की पहली थी, जिसमें लाखों मजदूरों, किसानों व खेत–मजदूर शामिल हुए थे, ने समूचे देश में मेहनतकशों व प्रगतिशील तबकों को प्रेरित किया।

- नवउदारवादी नीतियों के तहत असंगठित क्षेत्र के विस्तार के साथ सीटू ने वर्गीय एकता की अपनी कोशिशों के तौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ट्रेड वार संगठित करने और उनकी विरोध मांगों पर उन्हें संगठित करने पर अपना ध्यान लगाया है। आज सीटू की 70 प्रतिशत सदस्यता असंठित क्षेत्र से है।

- सीटू समझता है कि शोषण की पूरी तरह समाप्ति और समाज के बदलाव की उसकी दृष्टि को नेता का पिछलग्गू कैडर, तरीके के संगठन से करना असंभव है। उसने तत्कालीन एटक में भी गैर जनवादी तौर–तरीकों के विरूद्ध लड़ाई लड़ी थी और अब अपने संगठन के भीतर वह बराबर ट्रेड यूनियन जनवाद के महत्वपूर्ण को रेखांकित करता है। सीटू का संविधान स्वयं इस पर जोर देता है।

- सीटू के 50 वर्ष के इतिहास में, संगठन पर पारित किये गये दो दस्तावेज मील का पत्थर हैं। पहला जो 1993 में पारित किया गया था जिसे संगठन पर भुवनेश्वर दस्तावेज कहा जाता है, संगठन को मजबूत करने का बुनियादी दिशा–निर्देश है। इसे, जनवादी कार्यप्रणाली व कैडर के राजनीतिक वैचारिक विकास पर, जमीनी स्तर तक जोर देने वाली बुनियादी बात को बनाये रखते हुए, बदली परिस्थिति की जरूरत के अनुरूप 2018 में कोझिकोड में अद्यतन किया गया। भुवनेश्वर दस्तावेज व कोझिकोड दस्तावेज अपनी बेबाक आलोचना व आत्मालोचना के माध्यम से अपनी कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें दूर कर संगठन को मजबूत करने की सीटू की यह स्पष्ट समझ है कि राजनीतिक कार्य को उसके संगठनिक कार्य से अलग नहीं किया जा सकता है।

आज, जब हम अपने संगठन की स्वर्ण जयंती मना रहे है, तब हम देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास में अपनी शानदार भूमिका पर गर्व कर सकते है। हम उन हजारों मजदूरों व कैडरों के संघर्षो व बलिदानों के वारिस हैं जिनका, आजादी के संघर्ष के दिनों से विश्वास था कि शोषण की समाप्ति का और समाज के बदलने का औजार वर्ग संघर्ष ही है, जिन्हें विश्वास है कि शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था का विकल्प है समाजवाद। हम उन के वारिस हैं जिन्होंने एक सदी पहले राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केंद्र की स्थापना करते समय ऐसे शोषण विहीन समाज का सपना देखा था

इसलिए, हम अपनी स्वर्ण जयंती को '100 वर्ष के संघर्षो व बलिदानों को! वर्गीय एकता के लिए संघर्ष के 50 वर्षो को आगे बढ़ाओं! के नारे के साथ मना रहे है।

सीटू की स्थापना की स्वर्ण जयंती को वर्ष भर चलने वाले समारोहों के दौरान आओ, हम अपने आपको अपने क्रांतिकारी उद्देश्य के प्रति पुनः समर्पित करें। आओ, हम इस वर्ष मजदूर वर्ग को, समाज को बदलने में उसकी भूमिका के बारे में अवगत करें।

– जिन तक नहीं पहुँचे उन तक पहुँचो;

– मुद्दों को नीतियों से जोड़ो;

– नीतियां तय करने वाली राजनीति को बेनकाब करो;

– चैतन्य, सक्षम, संकल्पित कैडर विकसित करो;

– व्यापकतम वर्गीय एकता के लिए! सधन वर्ग संघर्षों के लिए !

सीटू को मजबूत करो ! आगे बढ़ो !

भारतीय ट्रेड यूनियनों का केन्द्र–सीटू

भारत में मजदूर वर्ग के 'संघर्षों व बलिदानों के 100 वर्ष'

जे. एस. मजुमदार

सीटू, 30 मई से, प्रथम ट्रेड यूनियन केन्द्र की स्थापना के बाद से भारत के मजदूर वर्ग के ''संघर्षों व बलिदानों के 100 वर्ष ''तथा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की स्थापना के बाद से ''मजदूर वर्ग की एकता के लिए संघर्ष के 50 वर्षों'' को मनाने की **शुरुआत** करने जा रहा है।

सीटू की स्थापना होने तक मजदूर वर्ग के संघर्षों व बलिदानों के इतिहास के जो मील के पत्थर हैं उन्हें यहाँ दर्ज किया गया है जो मजदूर वर्ग व आम जनता के हित, वर्गीय एकता तथा वर्गीय रुझान व उन्मुखता विकसित करने की दिशा में थे। इन्हीं संघर्षों के अनुभवों से सीटू का ''एकता व संघर्ष'' का जोरदार आह्वान उभर कर आया। मजदूर वर्ग के इन संघर्षों व बलिदानों की विरासत को कैसे आगे बढ़ाते हुए सीटू ने मजदूर वर्ग के इतिहास में मील के पत्थर स्थापित किये इसे अलग से दिया जा रहा है।

I

भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन केन्द्र के उदय के पीछे मजदूर वर्ग के संघर्षों व बलिदानों की अपनी पृष्ठभूमि है। उत्पादन के पूंजीवादी तरीके की प्रकृति में ही वर्ग संघर्ष निहित होता है जो मजदूर वर्ग के भीतर सुसुप्त अवस्था में रहता है और कभी–कभी स्थितियों के अनुसार स्वयंफूर्त तरीके से फूट पड़ता है। ट्रेड यूनियन, आंदोलन को संगठित व उसे खड़ा करती है तथा वस्तुगत दिशा की ओर उसका नेतृत्व करती है।

– उन्नीसवीं सदी के अंतिम ढ़ाई दशक और बीसवीं सदी के प्रथम डेढ़ दशक से ज्यादा में कितनी ही हड़तालें व आंदोलन हुए। इनका नेतृत्व मजदूरों के आंदोलनात्मक समूहों, कल्याण केन्द्रों व आम मजदूरों ने किया क्योंकि तब ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व व्यक्तियों व लोकोपकारियों के पास था। इन यूनियनों की न कोई नियमित सदस्यता थी, न संविधान और न ही कोई संगठनात्मक ढांचा आदि जैसा कि आधुनिक ट्रेड यूनियनों का होता है।

– लेकिन, इसी दौर में भारतीय मजदूर वर्ग के भीतर राजनीतिक चेतना भी पैदा हुई जो स्वतंत्रता संग्राम के साथ विकसित हुई। जुलाई 1908 में जब 'राजद्रोह' के आरोप में दोषी करार कर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के लिए कारावास की सजा दी गई तो, *''बंबई इसके विरोध में पूरी तरह ठप्प हो गयी . . . सभी कपड़ा मिलों व रेलवे की कार्यशालाओं के मजदूर हड़ताल पर चले गये, सेना को बुलाया गया, . . . 16 मजदूरों की जान गई और लगभग 50 अन्य गंभीर रुप से घायल हुए थे,'' ऐसा विपिन चन्द्र ने 'भारत का स्वतंत्रता संग्राम' में लिखा है।*

इस बारे में बी.टी.आर. ने लिखा (मार्क्ससिस्ट, अक्टूबर –दिसम्बर 1985), ''मजदूर ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रीय विरोध में उतर रहे थे। ऐसा 1908 में तब हुआ था जब लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई थी। मजदूर हर एक वर्ष की कैद के विरुद्ध एक दिन की हड़ताल पर रहे थे। वे पुलिस व ब्रिटिश सेना से भिड़ गये। कईयों की मौत हुई। उनके प्रतिरोध ने समूचे बंबई शहर को प्रेरित कर छोटे व्यापारियों व मध्यम वर्गों को कार्रवाईयों में उतारा। यह पहली बार था कि मजदूर वर्ग ने राजनीतिक उद्देश्य के लिए सभी उद्योगों में हड़ताल के हथियार का प्रयोग किया था और जनता की आम लामबंदी में इसकी उपयोगिता को सामने रखा था''।

इस बारे में लेनिन ने लिखा, ''ब्रिटिश गीदड़ों ने भारतीय लोकतांत्रिक नेता तिलक के विरुद्ध जो कुख्यात सजा पारित की है . . . एक डेम्रोक्रेट के विरुद्ध पैसे के पिछलग्गुओं की इस बदले की कार्रवाई के चलते बंबई की सड़कों पर प्रदर्शन व हड़ताल हुई है। भारत में भी, सर्वहारा सचेत राजनीतिक जन– संघर्ष के स्तर तक विकसित हो चुका है–और इस स्थिति के रहते, भारत में रुसी तरह का

ब्रिटिश राज टिक नहीं सकता! ''(विश्व राजनीति की ज्वलनशील सामग्री (इनफ्लेमेब्ल मेटेरियल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स); जुलाई 23 (अगस्त, 5) (1908)

II

प्रथम विश्व युद्ध के बाद घटनाओं की श्रखंला ने संगठित ट्रेड यूनियनों के बनने की प्रक्रिया को तेज किया और प्रथम ट्रेड यूनियन केन्द्र की स्थापना हुई। ये घटनायें थीं :–

– प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के तौर पर हुई मूल्यवृद्धि , कम वेतन, काम के लम्बे घंटों व शोषण के अन्य कदमों ने भारतीय मजदूर वर्ग को गंभीर आर्थिक मुश्किलों में ढकेल दिया जिसके चलते गंभीर औद्योगिक अशांति व आंदोलन पैदा हुआ।

– 1917 की महान अक्टूबर क्रांति तथा मानव इतिहास में पहले मजदूर वर्ग के राज्य की स्थापना ने भारत समेत पूरी दुनिया में मजदूर वर्ग के आंदोलन व राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को प्रेरित किया।

– जलियाँवाला बाग नरसंहार, रोलेट एक्ट, राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डाले जाने तथा 1915 में होमरुल लीग, रोलेट सत्याग्रह 1919, तथा 1920–22 में असहयोग व खिलाफत आंदोलनों के चलते तेज हुए स्वतंत्रता संग्राम ने उस दौर में मजदूर वर्ग की गतिविधि को और उभार दिया ।

– महान अक्टूबर क्रांति व दुनिया भर में उभरते मजदूर वर्ग के आंदोलन के चलते लीग ऑफ नेशन्स (अब यू एन एजेंसी) के त्रिपक्षीय अंर्तराष्ट्रीय श्रमिक मंच, अंर्तराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) की स्थापना 1919 में हुई।

– पहली आधुनिक ट्रेड यूनियन– मद्रास लेबर यूनियन 1918 में बकिंगघम एंड कारनेटिक मिल्स में एनीबेसेंट के एक सहयोगी बीपी वाडिया के नेतृत्व में बनी; इसके 1600 सदस्य थे, संगठनात्मक ढांचा था और एक नेतृत्वकारी टीम थी।

– गांधीजी ने भी 1918 में ही 'ट्रस्टीशिप' के गांधीवादी आर्थिक विचार के साथ 'वर्गीय शांति' व 'वर्ग सहयोग' के लिए अहमदाबाद टेक्सटाईल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की।

– इस समय मुख्य रुप से बंगाल, मद्रास व बोम्बे प्रांत के औद्योगिक केन्द्रों में तथा जहाजरानी, रेलवे, संचार, जूट, कोयला, टेक्सटाईल तथा इंजीनियरिंग उद्योगों में तीव्र गति से ट्रेड यूनियनें विकसित हुई। मजदूरों में बेचैनी थी और सारे देश में हड़तालों की लहर थी।

– यूनियनों के एक राष्ट्रीय स्तर के निकाय के अभाव में ब्रिटिश शासन की भारत सरकार ने आई.एल.ओ. में भारतीय ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एन.एम. जोशी को मनोनीत किया था। कई यूनियनों ने इसका विरोध किया। अंततः यह तय किया गया कि विवाद का निपटारा करते हुए ट्रेड यूनियनों का एक अखिल भारतीय निकाय बनाया जाये।

इस प्रकार, 31 अक्टूबर, 1920 को बोम्बे में हुए एक सम्मेलन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (एटक) के रुप में पहले अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र की स्थापना हुई। इस सम्मेलन में 1.40 लाख सदस्यों व 64 यूनियनों का प्रतिनिधित्व करते हुए 101 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 43 और यूनियनों ने एकजुटता जाहिर की थी। लाला लाजपत राय जिन्होंने अध्यक्षता की थी, तिलक, ऐनी बेसेंट, सी.एफ. एंडयूज व अन्य समेत कई राजनैतिक नेताओं ने इसमें भाग लिया था। ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के बिरादराना प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन ने लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष तथा एन.एम. जोशी को अपना महासचिव चुना था। जाहिर है कि समूचा नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस से आया था। तब आकार ले रही भारत के मजदूर वर्ग की पार्टी–कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 17 अक्टूबर, 1920 को ताशकंद में हुआ था।

III

तब भी इस नये ट्रेड यूनियन केन्द्र (टी.यू.सी.) में दो धारायें थीं। ये दो धारायें सबसे बेहतर ढंग से टेक्सटाईल मजदूरों में दिखाई पड़ती थीं– एक, बम्बई में गिरनी कामगार यूनियन के नेतृत्व में जुझारु हड़तालें कर रही थी और बुनियादी नीति परिवर्तन के लिए फौरी आर्थिक माँगों से आगे जाकर वर्ग संघर्ष की ओर जा रही थी; और दूसरी, अहमदाबाद टेक्सटाईल लेबर यूनियन के नेतृत्व में वर्ग सहयोग (संशोधनवाद) की ओर जाकर कुछ फौरी आर्थिक मुद्दों तक ही सीमित थी। इन दोनों धाराओं की खींचतान एटक में जारी रही।

– ट्रेड यूनियन सेंटर की स्थापना के बाद के दौर में ट्रेड यूनियन आंदोलन व राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम साथ–साथ आगे बढ़े।

– सारे देश में हड़तालों की लहर आयी हुई थी। अकेले वर्ष 1921 में ही लगभग 400 हड़तालें हुई थीं। इनमें से आधे से अधिक सफल रही थीं। स्वतंत्रता आंदोलन ने अपनी माँग को 'डोमिनियन स्टेटस' से उठाकर 'पूर्ण स्वराज' कर दिया था, जिसे पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी व उसके नेतृत्व वाले ट्रेड यूनियन ने उठाया था।

– भारत के इतिहास में पहली बार, अंर्तराष्ट्रीय मजदूर वर्ग की एकजुटता के दिवस, मई दिवस को मनाने के लिए चैन्नै में 1 मई 1923 को मलयापुरम सिंगारावेलु चेट्टियार ने लाल झंडा फहराया था।

– मजदूर वर्ग की एकता को तोड़ने के लिए, ट्रेड यूनियनों में रहकर काम कर रहे और मजदूरों की हड़तालों का नेतृत्व कर रहे स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों को अलग–थलग करने के लिए; और हड़ताली कार्रवाईयों की लहर को नियंत्रित करने के लिए; भारत में ब्रिटिश सरकार ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 लेकर आई जिसके द्वारा हड़तालों समेत किसी भी ट्रेड यूनियन गतिविधि के संचालन के लिए ब्रिटिश सरकार से अग्रणी कार्यकर्ताओं की पहचान, लिखित मंजूरी का प्रमाणपत्र लेना आवश्यक हो गया।

– 1928 में 'पूर्णस्वराज' के बजाय 'संविधानिक संशोधनों' के लिए साइमन कमीशन भारत आया। सारे देश में 'साइमन कमीशन वापस जाओ' का नारा गूंज उठा; मजदूरों ने हड़तालें की और काले झंडों के साथ प्रदर्शन किये, ऐसा विशेषकर बोम्बे, कलकत्ता, मद्रास, लाहौर में हुआ; लाहौर में ऐसे ही एक प्रदर्शन मे हुए पुलिस लाठीचार्ज में एटक के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हुए और 17 नवम्बर, 1928 को उनकी मृत्यु हो गयी; इसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने 17 दिसम्बर, 1928 को लाठी चार्ज कराने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सांडर्स को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया।

– मजदूरों की हड़तालों के तूफान (1928 में हड़तालों के कारण 316 लाख मानव दिवसों की हानि हुई थी) को व राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागेदारी को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार 1928 में एक साथ दमनकारी प्रावधानों वाले दो विधेयक 'ट्रेड डिस्प्यूट बिल' व 'पब्लिक सेफ्टी बिल' लेकर आयी। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर जब 8 अप्रैल, 1929 को सेंट्रल असेम्बली में बहस हो रही थी, ''तभी असेम्बली में धमाका हुआ और अचानक हाल धुंए से भर गया तथा दो युवकों द्वारा दर्शक दीर्घा से नारे लगाये गये। तीन नारे, जो कई बार लगाये गये वे थे– 'इंकलाब जिन्दाबाद,' 'साम्राज्यवाद मुर्दाबाद,' और दुनिया के मजदूरों एक हो।'' *(मेनस्ट्रीम वीकली, 2009 में जे.एन.यू. के प्रो. चमनलाल के लेख से)* ये दो युवक थे भगतसिंह व बटुकेश्वर दत्त। शेष इतिहास है। तबसे, भारत में 'इंकलाब जिंदाबाद' वर्ग संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मजदूर वर्ग का उद्घोष बन गया।

– एक बार फिर, ट्रेड यूनियनों की संगठनात्मक एकता को तोड़ने, इससे कम्युनिस्टों को अलग करने व राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल जुझारु ट्रेड यूनियन आंदोलन को कुचलने के लिए साम्राज्यी सरकार ने 1924 में 'कानपुर कम्युनिस्ट षडयंत्र मामला' बनाया जिसमें मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे व अन्य को जेल में डाल दिया गया।

– तब भी ट्रेड यूनियन आंदोलन में कम्युनिस्टों का प्रभाव मजबूत हो गया। ब्रिटिश सरकार ने पुनः हमला बोलते हुए 1929 में, भारतीय मजदूर वर्ग के आंदोलन के साथ एकजुटता में खड़े हुए गिरनी कामगार यूनियन के दो ब्रिटिश मजदूरों समेत 31 अग्रणी ट्रेड यूनियन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मामले को ज्यादा प्रचार न मिले इसलिए ब्रिटिश सरकार ने लम्बे साढ़े चार साल तक दूर मेरठ में मुकदमा चलाया, जिसे मजदूरों को भड़काकर ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फैंकने की कोशिश के आरोप में चले 'मेरठ ट्रॉयल' के नाम से जाना जाता है।

– मुकदमे को गुप्त रखने की ब्रिटिश सरकार की कोशिशों के बावजूद इस मुकदमें का देशव्यापी विरोध और अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर भर्त्सना हुई। ऐसा करने वालों में अल्बर्ट आइंसटीन, रोमा रोलां, एच.जी. वेल्स, आर्कबिशप ऑफ यॉर्क व हेराल्ड लास्की जैसी अंतर्राष्ट्रीय शखिसयतें शामिल थीं। और तब असफल रही सरकार ने सफाया करने वाला हमला बोलते हुए 23 जुलाई, 1934 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर–कानूनी घोषित कर दिया। इसके चलते, ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के अनुसार एक दर्जन से ज्यादा पंजीकृत ट्रेड यूनियनें भी गैर–कानूनी हो गयी।

– 18 फरवरी, 1946 को बोम्बे में रॉयल इंडियन नेवी के हजारों नाविकों ने हड़ताल कर दी; ब्रिटिश झंडे–यूनियन जैक को उतार कर कॉंग्रेस व मुस्लिम लीग के झंडे लगा दिये; और वे सड़कों पर उतर आये। मजदूर स्वयंस्फूर्त हड़ताल कर उनके साथ शामिल हो गये।

– ब्रिटिश सरकार के विरोध मे नारे लगाते और 'जयहिंद' कहकर सेल्यूट करते हुए आम लोग भी इनमें आ मिले। जल्द ही इनके साथ अन्य भागों – कलकत्ता, मद्रास, कराची व विशाखापट्टनम में नौसैनिक विद्रोह हो गया। इसके पूर्व रॉयल इंडियन एअरफोर्स में भी विरोध हुए थे। इन दोनों घटनाओं से भारत में ब्रिटिश राज के जल्द समाप्त होने के संकेत मिल गये थे।

मजदूरों व जनता द्वारा विद्रोहियों का भारी समर्थन किये जाने के बावजूद, कॉंग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ही दलों ने समर्थन से इनकार करते हुए नौ सैनिकों को अपने काम पर लौट जाने को कहा। और इतिहास नहीं बनने दिया।

IV

भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन का इतिहास विभाजन और एकता के प्रयासों से भरा पड़ा है। ट्रेड यूनियन आंदोलन में कम्युनिस्ट हमेशा ही ट्रेड यूनियन एकता के पक्ष में रहे हैं क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन की ऐतिहासिक ताकत, मजदूर वर्ग की एकता की पूर्व शर्त है; कम्युनिस्ट सामाजिक परिवर्तन के लिए मजदूर वर्ग के हथियार के रुप में वर्ग संघर्ष के पक्ष में प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन में कभी भी संशोधनवाद से समझौता नहीं किया। इसलिए 'एकता व संघर्ष' ट्रेड यूनियन आंदोलन का सार बन गया।

पहला विभाजन एवं एकता (1930–1940)

– ब्रिटिश सरकार द्वारा ट्रेड यूनियन नेताओं के रुप में कम्युनिस्टों के विरुद्ध 'मेरठ केस' शुरु करने के तुरन्त बाद संशोधनवादियों ने 1929 में एटक के नागपुर सेशन में पहला विभाजन कराया और 1930 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन (आइ.टी.यू.एफ.) बनायी।

– मेरठ केस शुरु होने के बाद ट्रेड यूनियन आंदोलन में जो विशेष परिस्थिति पैदा की गई और संशोधनवादियों का जो रुख था उसे मेरठ केस में मुज्जफर अहमद के गिरफ्तार होने के बाद बंगाल में कम्युनिस्ट आंदोलन के मुख्य संगठनकर्ता अब्दुल हलीम ने 1929 में प्रकाशित अपनी किताब 'टास्क ऑफ द लेफ्ट विंग ट्रेड यूनियन्स ऑफ इण्डिया' में बेहतरीन ढ़ंग से दर्ज किया। ऐसी स्थिति में, एटक से अलग होकर 1931 में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आरटीयूसी) का गठन किया गया।

– आइ.टी.यू.एफ. एवं ए.आइ.आर.एफ. (ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन) के मेल से नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन (एन.टी.यू.एफ.) बनी।

– आर.टी.यू.सी. का 1934 में एटक में विलय हो गया।

– एन.टी.यू.एफ. 1938 में एटक से संबद्ध हो गयी और फिर 1940 में नागपुर सम्मेलन में उसका एटक में विलय हो गया।

दूसरा विभाजन (1947–1970)

– स्वतंत्रता से केवल 3 महीने पहले कॉंग्रेस पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर 1947 में एटक में विभाजन कराया और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (इंटक) बनायी। *''मजदूर वर्ग पर अपने प्रभाव का विस्तार करने और मुख्य दुश्मन के रुप में कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए . . . वर्ग सहयोग की नीति चाहते हैं . . .''* अपने अध्यक्षीय भाषण में सरदार पटेल ने कहा, *'इन लागों की गैर जिम्मेदारी और दुस्साहस समझ से परे हो गया है। मजदूर के अपने हितों और बेहतरी का ख्याल रखे बिना किसी भी बहाने से हड़ताले शुरु कर दी जाती हैं।* इन हड़तालों से सिवाय चारों ओर अफरातफरी और मुश्किलों के और कुछ हासिल नहीं होता है।'' *(बी.टी.आर. के लेखों से उद्धृत)*

– इसके बाद 1948 में हिन्द मजदूर सभा बनी;

– 1949 में यूनाईटेड ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (यू.टीयू.सी.) बनी जिसमें 1958 में विभाजन हो गया तथा 1958 में अलग हुआ समूह यू.टी.यू.सी. (एल.एस.) बना, जिसका नाम बाद में ए.आइ.यू.टी.यू.सी. हो गया।

– आर.एस.एस. से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.) 1955 में बना।

सीटू की स्थापना

– इस पृष्ठभूमि में 'एकता व संघर्ष' के आह्वान के साथ 1970 में सीटू की स्थापना हुई। तब से लेकर इसके इतिहास के मील के पत्थरों की चर्चा अलग से की गयी है।

राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन पर विशेषज्ञ समिति

मेहनतकश जनता के साथ छल–कपट

तपन सेन

वर्ष 2017 में वेतन विधेयक पर संहिता के संसद में पेश किये जाने के बाद, भारत सरकार ने, श्रम मंत्रालय के माध्यम से देश के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का तरीका ज्ञात करने के लिए 17 जनवरी, 2018 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति में, वी वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के फेलो डॉ० अनूप सत्पथी को चेयरमैन तथा श्रम मंत्रालय के वेतन सेल के अधिकारियों को यानी सभी केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों को रखा गया और आइ.एल.ओ. के भारत कार्यालय के भी एक प्रतिनिधि को इसमें शामिल किया गया। मगर, विचित्र लेकिन सरकार के अलोकतांत्रिक व श्रमिक विरोधी चरित्र के अनुरुप मजदूरों के संगठनों के किसी प्रतिनिधि को इस समिति में शामिल नहीं किया गया। **विशेषज्ञ समिति ने 8 जनवरी, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौप दी और लगभग एक महीने के बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया।**

राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और इन सिफारिशों तक पहुँचने के लिए समिति द्वारा की गई समूची कसरत सभी मजदूरों की उचित व जायज आकांक्षाओं के साथ पूरी तरह विश्वासघात है जो समूचे देश के लिए सकल घरेलू उत्पादन (जी.डी.पी.) का सृजन करते हैं।

विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के नाम पर (देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए) अकुशल मजदूर के लिए 8893 रु0 से 11,622 रुपये प्रतिमाह तक की राशि की सिफारिश की है जो 7$^{वें}$ वेतन आयोग द्वारा आइ.एल.सी. की सिफारिश के आधार से कहीं कम है। वैज्ञानिक तरीके से देश के समूचे मजदूर आंदोलन द्वारा और एक के बाद एक आइ.एल.सी. की न्यूनतम वेतन की माँग को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। विशेषज्ञ समिति द्वारा न्यूनतम वेतन की गणना के लिए खोजा गया फार्मूला और उससे समिति द्वारा निकाला गया न्यूनतम वेतन न केवल 18,000 प्रतिमाह की माँग से कहीं कम है, बल्कि यह मनमाना, बिना किसी वैज्ञानिक आधार के तैयार किया हुआ और भारतीय श्रम सम्मेलनों द्वारा सर्वसम्मति से तय फार्मूले का उल्लंघन भी है, और इसलिए पूरी तरह से खारिज किये जाने योग्य है।

दरअसल, इसकी सन्दर्भ शर्तों समेत विशेषज्ञ समिति की समूची कसरत को सरकार द्वारा अपने कारपोरेट आकाओं के कहने पर न्यूनतम वेतन को जितना संभव हो कम से कम रखने के लिए, इस तरह के दुराग्रही तरीके को अपनाने को कहा गया ताकि पहले से तय निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके।

साजिश और धोखाधड़ी की शुरुआत संदर्भ शर्तों के तय होने से हो गयी थी। समिति, जैसा कि इसकी रिपोर्ट शुरु में ही कहती है, वेतन विधेयक संहिता के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन ज्ञात करने के तरीके को तैयार करने के लिए गठित की गई। सभी जानते हैं कि भारतीय श्रम सम्मेलन ने जो देश का सबसे उच्च त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें राज्य व केन्द्र सरकारों, नियोक्ताओं संगठनों व ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधित्व होता है, पहले ही अपनी सर्वसम्मत सिफारिश के माध्यम से न्यूनतम वेतन को तय करने के तरीके को स्पष्ट व विस्तार से सामने रखा हुआ है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 के अपने फैसले के माध्यम से, कुछ और आवश्यकता की चीजों को आइ.एल.सी. के द्वारा पहले तय किये तरीके में जोड़ दिया था। इस तरह से न्यूनतम वेतन को तय करने के लिए नये तरीके की गुंजाइश कहाँ बची है। फिर भी समिति की संदर्भ शर्तों में तरीके को ज्ञात करने के संदर्भ को शामिल किया गया ताकि समिति कारपोरेट वर्ग और सरकार में बैठे उसके एजेंटों की इच्छानुसार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की गणना में गड़बड़ी व छल –कपट कर सके। और परिणाम सामने है। समिति ने एक अकुशल मजदूर के लिए 8892 रुपये से 11,622 रुपये महीने के राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की सिफारिश की है जिसे जुलाई, 2018 से लागू किया माना जायेगा जो जनवरी, 2016 में सातवें वेतन आयोग द्वारा आइ.एल.सी. की सिफारिश तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर तय तरीके से सुझाये गये 18,000 रुपये महीने से कहीं कम है। विशेषज्ञ समिति द्वारा 2018 में तय वेतन स्तर, सरकार द्वारा 2018 में नियुक्त अन्य समिति के वेतन स्तर से 36 प्रतिशत से अधिक कम हो गया है। क्या वर्ष 2016 से 2018 के बीच मूल्य स्तर पर या मंहगाई इतनी नीचे चली गई है? महान विशेषज्ञ समिति के पंडित और विशेषज्ञ क्या इसका उत्तर देंगे?

आइ.एल.सी. की सिफारिश व सुप्रीम कोर्ट का फैसला

न्यूनतम वेन के निर्धारण के लिए 1957 में 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन, जिसमें भारत सरकार भी एक पक्ष थी, द्वारा सभी बुनियादी जरुरतों को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से बनाया गया मापदंड सबसे विस्तारित था। इसके नियम कायदे ऐसे हैं कि एक मजदूर के न्यूनतम वेतन में मजदूर के परिवार जिसमें पत्नी व दो बच्चे हों यानी तीन वयस्क इकाईयां की जरुरतें पूरी हो सकें। भोजन की आवश्यकता में 2700 कैलोरीज, 65 ग्राम प्रोटीन व लगभग 45–60 ग्राम वसा (FAT) हो जैसा कि एक सामान्य गतिविधि करने वाले भारतीय वयस्क के लिए डॉ. वैलेस आयकायड की सिफारिश है।

15 वें आइ.एल.सी. ने यह भी सुझाया कि कपड़े की आवश्यकता एक औसत मजदूर परिवार के लिए 72 गज या 66 मीटर कपड़े के उपयोग पर आधारित होनी चाहिये। आवास के लिए किराया प्रदान करने के लिए सरकार की औद्योगिक आवास योजना के तहत प्रदान किये जाने वाल न्यूनतम क्षेत्रफल को लिया जाना चाहिये। ईधन, बिजली और खर्चे के अन्य मदों के लिए कुल न्यूनतम वेतन का 20 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ा जाना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने 1961 में यूनीकाम बनांम राज्य मामले में इस मापदंड को सही ठहराया था। इस प्रकार तय मापदंड है,

(1) एक परिवार जिसमें तीन वयस्क इकाईयाँ हों, (2) भोजन आवश्कता 2700 कैलोरीज, (3) 66 मीटर कपड़ा प्रतिवर्ष, (4) आवास किराया तथा (5) अतिरिक्त 20 प्रतिशत, बिजली, ईधन आदि के मद में

1991 में रप्ताकोस ब्रेट बनाम वर्कमेन मामले में सुप्रीम कोर्ट एक कदम और आगे गया और कहा कि 15 वें आइ.एल.सी. द्वारा सुझाये पाँच घटकों के अलावा, न्यूनतम वेतन में एक छठा घटक भी शामिल होना चाहिये जो कुल न्यूनतम वेतन का 25 प्रतिशत हो और जो बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, त्योहारों व समारोहों के मद के लिए हे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उपरोक्त छः घटकों वाला वेतन ढाँचा, **''जिंदा रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन से अधिक कुछ नहीं है'' जो मजदूरों को ''हर समय और हर परिस्थितियों'' में आवश्यक रुप से मिलना चाहिये।**

इसके बाद 2012 में 44वें आइ.एल.सी. ने न्यूनतम वेतन पर सम्मेलन की समिति की निम्नलिखित सिफारिशों को सर्वसम्मति से स्वीकार कियाः

1. यह सर्वसम्मत था कि सरकार 15 वें आइ.एल.सी. (1957) के द्वारा सुझाये गये कायदों / मापदंडों तथा (रप्ताकोस कंपनी बनाम वर्कर्स यूनियन) 1992 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिये गये निर्देशों के अनुसार न्यूनतम वेतन का निर्धारण कर सकती है। सरकार इस बारे में यथानुसार कदम उठा सकती है।
2. इस पर भी एक व्यापक सर्वसम्मति है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम में सभी रोजगारों को लिया जाना चाहिये और केवल अनुसूचित रोजगारों पर ही इसके लागू होने की मौजूदा पाबंदी को हटा दिया जाना चाहिये। इससे भारत को आइ एल ओ के कन्वेंशन सं. 131 पर हस्ताक्षर करने में भी मदद मिलेगी।
3. इस पर व्यापक सहमति है कि देश भर में सभी रोजगारों पर लागू होने वाला एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन होना चाहिये।

44वें आइ.एल.सी. की सर्वसम्मत सिफारिशों को 45वें आइ.एल.सी. ने भी सर्वसम्मति से दोहराया, इनमें से 46वें आइ.एल.सी. का उद्घाटन मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।

विशेषज्ञ समिति ने क्या किया?

क्या विशेषज्ञ समिति के लिए करने को कुछ और काम था सिवाय इसके कि वह मूल्यों के वर्तमान स्तर के आधार पर आइ.एल.सी. की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तय किये गये ठोस फार्मूले को गणना के लिए लागू करती और एक मजदूर के परिवार के जिन्दा रहने की जरुरतों के स्तर के हिसाब से वास्तविक आँकड़े पर पहुँचती? ट्रेड यूनियनों द्वारा की गई गणनाओं के अनुसार, न्यूनतम वेतन 2016 में ही 26,000 निर्धारित होना चाहिये था। तब भी जैसी की 7वें वेतन आयोग की सिफारिश थी, सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रुप से कम से कम 18000 रुपये की मांग 2016 में की थी।

विशेषज्ञ समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि उन्होंने भी कुल मिलाकर आइ.एल.सी. व सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तय कायदे व फार्मूले का पालन किया है। शासक वर्गों द्वारा आगे बढ़ायी गई तथाकथित जुमला राजनीति और झूठ ने उनके द्वारा

नियुक्त समिति को भी संक्रमित किया है। वास्तविक कवायद करते हुए, समिति ने कारपोरेट आकाओं को संतुष्ट करने के लिए उन्हें दिये गये काम के सभी पहलुओं में बहुआयामी विकृतियों और गड़बड़ियों का सहारा लिया।

पहले तो समिति ने प्रति परिवार भोजन आवश्यकता की गणना करते हुए बड़े ही मनमाने ढंग से आइ.एल.सी. द्वारा तैयार आवश्यक कैलरी स्तर को 2700 से घटाकर 2400 कर दिया। विशेषज्ञ समिति के पंडितों के अनुसार मजदूर कम कैलरी उपयोग करेंगे जैसाकि उन्हें 1993– 2012 के दौरान मजदूरों के उपयोग के रुझानों से पता चला था।

क्या इससे अधिक आपराधिक भी कुछ हो सकता है? क्या कोई न्यूनतम समझदारी रखने वाला व्यक्ति भारत के मजदूरों के लिए, जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्ट्टयूट (आइ एफ पी आर आइ) के द्वारा हर वर्ष प्रकाशित होने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों में 100वें स्थान पर है और जिसके मजदूर हमेशा से कुपोषित व भूख के मारे हैं, उनके लिए कैलरीज की आवश्यकता को कम कर सकता है?

दूसरे, उन्होंने 7वें वेतन आयोग की तुलना में सभी बुनियादी खाद्य सामानों व ईधन की कीमत को भी मनमाने ढंग से अत्यधिक कम कर दिया है। उदाहरण के लिए, चावल व गेहूं के उत्पादों की कीमत जहाँ 7वें वेतन आयोग ने 25.93 रुपये प्रति किलो रखी थी उसे तथा कथित विशेषण समिति की न्यूनतम वेतन सिफारिश के लिए घटाकर 20.40 रुपये कर लिया गया। इसी प्रकार दालों के लिए, क्रमशः 97.84 रुपये प्रति कि0 व 56.50 रु0 प्रति किलो, सब्जियों के लिए 43.57 रु0 प्रति किलो व 14.30 रु0 प्रति किलो, मछली व माँस के लिए औसत मूल्य क्रमशः 356 रु0 प्रति किलो व 121 रु0 प्रति किलो, दूध के लिए मूल्य क्रमशः 37.74 रु0 प्रति लीटर व 28.30 रु0 प्रति लीटर आदि, आदि। आवास के लिए विशेषज्ञ समिति ने अनुमानित खर्च केवल 1430 रुपये प्रतिमाह रखा है। क्या विशेषज्ञ समिति का कोई भी सदस्य देश के किसी भी कोने में इतने पैसे में एक कमरा भी किराये पर लेकर दिखा सकता है? इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ एक ओर जानबूझकर भोजन की आवश्यकता को घटाने की कोशिश की गई है वहीं दूसरी ओर वस्तुओं की कीमतों को जानबूझकर कम कर के दिखाया गया है।

बड़े शर्म की बात है कि विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में नोट किया है कि उन्होंने परिवार खर्च की गणना 2012 के मूल्यों के आधार पर की है जिसे, बताया गया है कि औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के राष्ट्रीय औसत उपयोग कर जुलाई 2018 के लिए अद्यतन कर लिया गया।

क्या इसके पीछे कोई तर्क या विवेक है कि 2018 में पैदा हुई कमेटी ने न्यूनतम वेतन तय करने हेतु परिवार के खर्च की गणना के लिए 2012 के मूल्यों को आधार बनाया जिसे धोखाधड़ी वाले मूल्य सूचकांक के आधार पर कुछ दिखावटी बदलावों के बाद जुलाई 2018 से मजदूरों के लिए लागू किया जाना है। इसके पीछे एक ही प्रेरणा है और वह है न्यूनतम वेतन को कम से कम रखने के लिए परिवार के न्यूनतम खर्च को कम करके दिखाना।

मजदूरों के परिवारों की भोजन की न्यूनतम आवश्यकता को कम से कम करने के लिए किस हद तक शैतानी कवायद की गई है इसका पता विशेषज्ञ समिति की गणनाओं की तुलना 7वें वेतन आयोग द्वारा की गई गणनाओं से करने पर चलता है। सावतें वेतन आयोग ने तीन वयस्क उपभोक्ता इकाईयों वाले एक मजदूर परिवार का 2700 कैलरीज के आधार पर जनवरी 2016 में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में 2012 के मूल्य स्तर पर इसे निर्दयता पूर्वक काटकर 3672.90 रुपये कर दिया गया जो तथा कथित अद्यतन के बाद जुलाई 2018 के लिए 5582.80 रुपये बनता है यानी 7वें वेतन आयोग की तुलना में 30.4 प्रतिशत की कमी और वह भी 2 वर्षों के अन्तराल के बाद।

यहाँ यह ध्यान देना मजेदार है कि विशेषज्ञ समिति ने भोजन व अन्य आवश्यकताओं की गणना करते समय भारी उदारता दिखाते हुए औसत परिवार के आकार को बढ़ाकर 3.6 उपयोग इकाईयों तक कर दिया। तब भी, विशेषज्ञ समिति द्वारा 2018 के लिए भोजन का अनुमानित खर्च 7वें वेतन आयोग द्वारा दो वर्ष पूर्व 2016 में लगाये गये वास्तविक अनुमान का एक तिहाई ही बनता है। इस प्रकार पूरी कवायद में छल–कपट का पूरी तरह से भंडाफोड़ हो जाता है।

भोजन खर्च की आवश्यकता को इतना कम रखने के पीछे विशेषज्ञ समिति के अन्य निश्चित मंतव्य भी रहे हैं। आइ.एल.सी. सिफारिश के अनुसार, भोजन की आवश्यकता के अलावा, ईंधन, बिजली आदि की अन्य जरुरतों को भी तो भोजन पर खर्च के प्रतिशत (20 प्रतिशत) के रुप में निकाला जाना होता है। यही नहीं,सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरुप शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के मद में होने वाले

खर्च को कुल न्यूनतम वेतन के 25 प्रतिशत के रुप में निकाला जाता है। इस तरह भोजन खर्च न्यूनतम वेतन की गणना में बुनियाद का कार्य करती है जिसे विशेषज्ञ समिति को नियुक्त करने वाले आकाओं के निर्देश पर कमेटी ने इतना नीचे रखा है ताकि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन को कम से कम रखा जा सके।

जनता के साथ छल–कपट व धोखा

इसके आलावा राष्ट्रीय वेतन की अवधारणा अलग–अलग क्षेत्रों के लिए अलग–अलग नहीं हो सकती है। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन वह सबसे कम वेतन स्तर है जिससे कम वेतन निर्धारण की इजाजत किसी भी राज्य को नहीं दी जानी चाहिये। देश के अलग–अलग भागों में मूल्यों के स्तर में अंतर को सभी क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा नियमित रुप से भत्ता तय कर दूर किया जा सकता है। इस पर भी कमेटी ने उसे सौंपे गये कार्य का अलग–अलग क्षेत्रों के लिए अलग–अलग राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय कर, मजाक बना दिया। मूर्खता और बेईमानी की कोई सीमा नहीं होती।

सार यह है कि मोदी सरकार द्वारा संसद में बड़े धूम–धड़ाके के साथ घोषणा के बाद उसके द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की समूची कसरत दरअसल मेहनतकश जनता के साथ एक छलकपट व धोखा है। उनकी मुख्य कोशिश देश के ज्यादातर हिस्से में न्यूनतम वेतन को 8892 रुपये तक कम रखना है। और उन्होंने ऐसे आपराधिक कृत्य को पूरा करने हेतु चार तरीके आजमाये; पहला यह कि उन्होंने कैलरी आवश्यकता को 2700 से घटाकर 2400 कर दिया जो आइ.एल.सी. की सिफारिश व सुप्रीम कोर्ट के फैसले का घोर उल्लंघन है और ऐसा तब जब सुप्रीम कोर्ट ने 2700 कैलरी की आवश्यकता को ''जिन्दा रहने लायक स्तर'' का वेतन कहा है; दूसरे तरीके में परिवार की आवश्यकता की सभी चीजों के दामों को मनमाने ढंग से, 2018 के लिए न्यूनतम वेतन की गणना हेतु 2012 के स्तर को अपनाकर अत्यधिक कम कर दिया; तीसरे आवास के खर्च को न समझ में आने वाला, बहुत ही कम करके ऑकना जो अव्यावहारिक है; और चौथा, गैर खाद्य खर्चों जैसे कपड़े ईंधन, बिजली, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, त्योहार एवं सामारोहों पर खर्च की गणना के लिए 15वें आइ.एल.सी. की सिफारिश व इन मुद्दों पर बाद में आये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज कर पूरी तरह से अलग तरीका अपनाया।

कुल मिलाकर, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन पर मोदी सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने तमाम पेशेवर अंखडता को धता बताते हुए मेहनतकश जनता के प्रति एक गंभीर अपराध किया है। यह, देश के जी डी पी, राष्ट्रीय खजाने के लिए संसाधन और सत्ता में बैठी सरकार के कारपोरेट आकाओं के लिए मुनाफे पैदा करने वाले मेहनतकशों का अपमान है। इसे, और इसके साथ ही शासन में बैठे इसके लिए जिम्मेदार धोखेबाजों को पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय

भारतीय ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिमंडल वेनेजुएला के राजदूत से मिला; वेनेजुएला की जनता के साथ जाहिर की एकजुटता

भारत में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड़ यूनियंस (वुफ्टू) से संबद्ध 6 केन्द्रीय ट्रेड़ यूनियनों – एटक, सीटू, एआइयूटीयूसी, एआइसीसीटीयू, टीयूसीसी व यूटीयूसी की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने 25 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में वेनेजुएला के राजदूत से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में सीटू से स्वदेश देव राय व अमिताव गुहा; एटक से विजयलक्ष्मी, वी.एस. गिरी व एस दामले; एक्टू से राजीव डिमरी व अन्य शामिल थे।

भारत में वेनेजुएला की नवनियुक्त राजदूत सुश्री कोरोमोटो गोडोय ने प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हे वेनेजुएला की ताजातरीन स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने अमरीकी नेतुत्व में साम्राज्यवादी ताकतों के हमलों से वेनेजुएला की हिफाजत के लिए राष्ट्रपति मदुरो को समर्थन और जनता के संघर्ष के बारे में भी बताया।

प्रतिनिधिमंडल ने ''साम्राज्यवादी आक्रमण के विरुद्ध वेनेजुएला की जनता के साथ एकजुटता के लिए 19 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुए भारतीय मजदूरों के कन्वेंशन'' में पारित एकजुटता प्रस्ताव को वेनेजुएला के राजदूत को सौंपा। *(सीटू मजदूर; अप्रैल, 2019)*

उद्योग एवं क्षेत्र

टेलीकॉम

मोदी सरकार का विदाई उपहार

5 साल के कार्यकाल के अंत में, भाजपायी मोदी सरकार ने बीएसएनएल के कर्मचारियों को दो उपहार दिए। वेतन भुगतान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, मार्च 2019 में वेतन का भुगतान न करते हुए, 1.68 लाख कर्मचारियों के बीच, सार्वजनिक क्षेत्र के बीएसएनएल के भविष्य को लेकर, अनिश्चितता की आशंका पैदा करके और दूसरे उपहार के लिए जमीन तैयार करने वास्ते – बीएसएनएल कर्मचारियों की संख्या को 30% तक कम करने के लिए, 45,000 कर्मचारियों को वीआरएस देना है। यह सब कुछ बिना कारण के नहीं हैं; यह अंबानी के जिओ के पूर्ण समर्थन में पूँजीवादी मिलीभगत का स्पष्ट प्रदर्शन है।

बीएसएनएल एम्पलाईज यूनियन (बीएसएनएलईयू) ने बताया है कि रिलायंस जियो द्वारा शुरू किए गए टैरिफ युद्ध के कारण सभी दूरसंचार कंपनियों की राजस्व आय में भारी गिरावट आई है। बीएसएनएल भी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और अपने कर्मचारियों को वेतन देने में विफल रहा है। टैरिफ युद्ध कुछ और समय तक जारी रहने की उम्मीद है और ऐसे समय तक सार्वजनिक क्षेत्र के बीएसएनएल को सरकार के समर्थन की आवश्यकता है।

लेकिन, बीएसएनएल द्वारा परिचालन लाभ कमाने के बावजूद, सरकार बीएसएनएल को कोई वित्तीय मदद नहीं दे रही है। इसके विपरीत, भारत सरकार का दूरसंचार विभाग (डीओटी) बीएसएनएल को अपने परिचालन व्यय के लिए बैंक ऋण लेने की अनुमति नहीं दे रहा है, इस तथ्य के बावजूद कि बीएसएनएल का कुल कर्ज केवल रु० 13,900 करोड़ है, जबकि वोडाफोन आइडिया का रु० 1,20,000 करोड़; एयरटेल का रु० 1,13,000 करोड़ है और मजेदार बात तो यह है कि रिलायंस जिओ का ऋण रु० 2,00,000 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है। फिर भी, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी दूरसंचार कंपनियों को भारी ऋण देने की अनुमति दी है, लेकिन बीएसएनएल को नहीं दी है।

बीएसएनएलईयू का आरोप है कि बीएसएनएल को वित्तीय रूप से अपंग बनाने के लिए डीओटी ने कठोर शर्तें थोप दी ताकि कर्मचारियों में भय की मनोवृति पैदा करके, वीआरएस लागू होने पर, उन्हें वीआरएस स्वीकार करने के लिए तैयार किया जा सके। हूबहू यही; अप्रैल को डीओटी ने वीआरएस के माध्यम से बीएसएनएल के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या को 30% अर्थात 45,000 कम करने के अपने इरादे की घोषणा की और सूचित किया कि इस उद्देष्य के लिए जल्द ही कैबिनेट को एक नोट भेजा जाएगा। 'द हिंदू' की खबर है कि एक अधिकारी ने कहा, "चुनाव आयोग से मंजूरी मिलते ही हम इसे जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करेंगे"। सार्वजनिक रूप से दिया गया कारण ''रु० 7,993 करोड़ का शुद्ध घाटा है, जबकि सेवाओं से आय रु० .2,668 करोड़ हो गई थी।''

बीएसएनएल स्टाफ को कम करने के लिए डीओटी के कदम का कड़ा विरोध और उसके तर्क कि बीएसएनएल को ओवरस्टाफिंग के कारण वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, का प्रतिवाद करते हुए बीएसएनएलईयू ने कहा कि मोदी सरकार की रिलायंस जियो समर्थक और बीएसएनएल विरोधी नीतियों के कारण बीएसएनएल वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। बीएसएनएल ने 2004–05 में रु० 10,000 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया जब 1 लाख से अधिक कर्मचारी इसमें काम कर रहे थे; और 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के वित्तीय वर्षों में परिचालन लाभ अर्जित किया है।

समस्या सितंबर, 2016 में रिलायंस जियो के परिचालन के साथ शुरू हुई, जिसने प्रतियोगियों को परिचालन को बंद करने के लिए मजबूर करने के लिए परभक्षी मूल्य निर्धारण शुरू कर दिया। ध्यान रहे कि डीओटी के तत्कालीन सचिव जे.एस. दीपक को केवल इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने रिलायंस जियो के परभक्षी मूल्यों का विरोध किया था।

टीआरएआई ने भी रिलायंस जियो की बड़ी मदद की है। इसने मई, 2003 में घोशित 'परभक्षी मूल्य निर्धारण' की अपनी परिभाशा को बदल दिया और अक्टूबर, 2017 में आईयूसी (इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज) को 57% घटा दिया, जिससे पुरानी दूरसंचार कंपनियों पर गहरी चोट करते हुए, रिलायंस जियो को 1,000 करोड़ रुपये का फायदा हुआ।

बीएसएनएल के गठन के समय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए आश्वासन कि बीएसएनएल की वित्तीय व्यवहार्यता की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे के विपरीत; और जनवरी, 2018 में केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा सभी यूनियनों को दिए गए आश्वासन के बावजूद बीएसएनएल को 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं किया जा रहा है। मोदी सरकार का यह कदम सोचे समझे तरीके से बीएसएनएल के पर कतरने वाला है।

पूरे देश में बीएसएनएल के पास 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की खाली जमीन है। बीएसएनएल ने किराये और पट्टे के माध्यम से इन खाली जमीनों से राजस्व उत्पन्न करने के लिए सरकार की मंजूरी माँगी है। हालाँकि, सरकार ने एक वर्ष से अधिक समय गुजरने के बाद भी आवश्यक स्वीकृति अभी तक नहीं दी है।

बीएसएनएल के वित्तीय पुनरुद्धार के लिए, इसकी कर्मचारी यूनियनें बीएसएनएल को 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने की माँग सरकार से कर रही हैं; इसके नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आसान ऋण; और बीएसएनएल को अपनी खाली जमीनों का मुद्रीकरण करने की मंजूरी दी जाये। *(द्वाराः बीएसएनएलईयू)*

आई.टी.

भारतीय आई.टी. सेक्टर

(आईटी/आईटीईएस कर्मचारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित पृष्ठभूमि दस्तावेज)
(चेन्नई; 10 फरवरी, 2019)

भारतीय आई.टी. सेक्टर

1960 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय आईटी क्षेत्र की उत्पत्ति हुई जब भारतीय आईआईटी के प्रोफेसरों ने भारत के लिए स्वदेशी प्रणाली पर काम करना शुरू किया और टीसीएस ने अपनी कंपनी शुरू की। 90 के दशक के पहले भारत में, आईटी क्षेत्र का अधिक ध्यान स्वदेशी प्रणाली और पंच कार्ड प्रणाली के निर्माण पर था। 1990 के दशक में इंटरनेट के व्यावसायीकरण और अनुकूलित सॉफ्टवेयर विकास के साथ–साथ कंप्यूटिंग मशीनों की मरम्मत और रखरखाव के क्षेत्र में भारतीय आईटी इंजीनियरों की बढ़ती माँग ने उद्योग के विकास को प्रेरित किया। दुनिया में भारत, पसंदीदा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) के रूप में स्थिति और दुनिया में ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग गंतव्य के तौर पर स्थापित हो गया। सहस्राब्दी वर्ष के आरम्भ से ठीक पहले वास्तविक प्रमुख विकास शुरू हुआ। जब दुनिया नई सहस्राब्दी के आगमन का जश्न मना रही थी, तो कई भारतीय आईटी पेशेवर वर्ष 2000 (वाई2के) समस्या को हल कर रहे थे। वाई2के के मुद्दे को हल करने में भारतीय आईटी सेक्टर का बड़ा योगदान था, जिसके माध्यम से भारतीय आईटी क्षेत्र ने 1996 से 2000 के बीच 230 करोड़ अमरीकी डालर का राजस्व अर्जित किया।

90 के दशक के अंत में और 2000 के दशक के प्रारंभ में भारत के कई शहरों में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की एक श्रृंखला स्थापित की गई थी, जो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहल थी। कई राज्य सरकारों ने भी आईटी कंपनियों के लिए आकर्षक राजकोषीय और अन्य प्रोत्साहन की पेशकश शुरू की; कुछ राज्यों ने आईटी क्लस्टर बनाने में सफलता प्राप्त की, इनमें से ज्यादातर चार राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में केंद्रित थे। 2000 के बाद, अंग्रेजी बोलने और समुद्र की तली में केबल कनेक्टिविटी की क्षमता के साथ भारत में सॉफ्टवेयर विकास के लिए कम वेतन वाले कुशल स्नातकों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, जो प्रतिस्पर्धी ब्राजील, फिलीपींस और कोस्टा रिका से अधिक बेहतर बीपीएम (बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट) सेवाऐं भारत में हैं। इन वर्षों में भारत आईटी आउटसोर्सिंग के लिए प्रमुख बाजार बन गया।

उद्योग के लिए

भारत सरकार और राज्य सरकारों ने अनुदान देकर आईटी और आईटीईएस उद्योग के कर्णधारों के हाथ खोल दिये, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन पर अपनी आँखें बंद कर लीं। इन कंपनियों को सब्सिडी वाली बिजली, भूमि की कीमत के पंजीकरण में रियायत, परिवहन की सुविधाऐं आदि प्रदान की गई।

राजस्व के संदर्भ में 2000 और 2008 की अवधि के दौरान आईटी क्षेत्र की वृद्धि 25%–40% थी। 17 लाख नौकरियां पैदा हुईं। भारतीय आईटी कंपनियां, इस अवधि के दौरान, आउटसोर्सिंग के अधिकांष कार्यों को आकर्षित करने की बेहतर स्थिति में थीं। यह वह स्थिति थी जब कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने लोगों को अग्रिम तौर पर भर्ती कर लिया और उन्हें तब भी भुगतान किया जबकि

उन्हें कंपनी में कोई विशेष कार्य नहीं दिया गया था। इस तेज विकास ने भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों की बढ़ती संख्या के साथ स्नातक मानव संसाधनों की एक बहुतायत को संभव बनाया। 2003 और 2009 के बीच लगभग 11208 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। इसी दौरान राज्य सरकारें आईटी निवेश और कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष आईटी नीतियों के साथ आगे आयीं।

यूपीए–1 सरकार बहुत सारे अनुदान, कर छूट और श्रम कानून में छूट देकर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एसईजेड अधिनियम 2005 लायी। आईटी/आईटीईएस कंपनियों ने करों में भारी छूटें लेने के लिए इस एसईजेड अधिनियम का व्यापक रूप से उपयोग किया था। आज भी देश में 274 आईटी/आईटीईएस एसईजेड हैं, जो किसी भी अन्य क्षेत्र से बड़े हैं।

2008 की वैश्विक मंदी ने भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए परिदृश्य बदल दिया। अधिकांश भारतीय कंपनियों को विकसित देशों की आउटसोर्सिंग परियोजनाओं में कटौतियों का सामना करना पड़ा; मौजूदा परियोजनाएं बंद हो रही थीं और कई विकसित ग्राहक देश अपने आईटी खर्च में कमी कर रहे थे। इस तरह की प्रवृत्ति का कर्मचारियों की नौकरियों पर बहुत प्रभाव पड़ा; ऑनसाइट काम करने वाले कई कर्मचारियों को वापस जाने के लिए कहा गया। अनेक कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी; जो कर्मचारी अपनी नौकरी बरकरार रखना चाहते थे, उन्हें कम वेतन पर काम करने के लिए कहा गया।

इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में आईटी कर्मचारियों ने देश भर में अपनी नौकरियों के नुकसान के कारण आत्महत्या की। कर्मचारियों के लिए इस तरह के संकट के बावजूद, भारतीय आईटी कंपनियों ने इस अवधि के दौरान 25%–30% के मुनाफों के अंतर को बनाए रखा।

2008 के बाद भारतीय आईटी सेक्टर को मंदी के झटकों का सामना करना पड़ा। सृजित रोजगार 2008 के पहले की अवधि की तरह नहीं था। आईटी कर्मचारियों ने गुलाबी पर्ची, छंटनी, हायर एण्ड फायर, ठेका श्रम, छंटनी आदि की नई चुनौतियों का सामना करना शुरू कर दिया। प्रवेश स्तर का वेतन रु० 2.25–रु० 3 लाख प्रतिवर्ष पर स्थिर होने लगा। 2000 के दशक में भर्ती होने वाले कर्मचारी उच्च वेतन के साथ 2012 के आसपास मध्य स्तर के प्रबंधन तक पहुंच गए। वे छंटनी के लिए कंपनियों का पहला लक्ष्य थे और उन्हें कम वेतन के साथ नए आने वाले कर्मचारियों से बदला किया गया था। 2012–2016 की अवधि के दौरान, उद्योग ने बड़े पैमाने पर छंटनी देखी जैसे कि टीसीएस से 25,000, सीटीएस से 8,000, विप्रो से 12,000, इन्फोसिस से 7,000 आदि। 2008–2013 के दौरान नई नौकरियों का सृजन भी एक अंक गिरकर 9% रह गया।

यही वह दौर भी रहा है कि जब आईटी कंपनियों ने इस सेक्टर में यूनियनों के उभार के साथ ही, कर्मचारियों से मजबूत चुनौतियां देखीं।

2014 में जब मोदीनीत भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, उस समय सोशल मीडिया, स्मार्ट फोन, क्लाउड टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के उद्भव से आईटी की दुनिया तेजी से बदल रही थी। भारत की आई.टी. कम्पनियों ने नई तकनीकों को अपनाने और मौजूदा कर्मचारियों को फिर से कौशल प्रदान करके इन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश की। इसने सीटीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल, कैपजेमिनी, वेराइजन आदि में बड़े पैमाने पर छंटनी के लिए नई लहर पैदा की। कर्मचारियों को फिर से कुशल बनाने के बजाय उन्होंने इसे कर्मचारियों को बाहर भेजने का मौका बना लिया। हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी कंपनी को नुकसान नहीं हुआ और वैश्विक बाजार में 55% हिस्सेदारी के साथ मुनाफों को दो अंकों में बनाए रखना जारी रखा। वर्तमान भाजपा सरकार ने ''डिजिटल इंडिया'', ''स्टार्ट अप इंडिया'', ''एक ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025'' और ''2025 तक 30 लाख नौकरियां'' जैसे कई लोकप्रिय नारे दिए। ऐसी जोरदार घोषणाओं का आईटी उद्योग के लिए घरेलू बाजार बनाने पर ज्यादा असर नहीं पड़ा।

फिर भी, भारत का घरेलू आईटी–बीपीएम बाजार धीमे चरण में बढ़ रहा है, जो वित्त वर्ष 2017–18 में 10% की वृद्धि के साथ 265 करोड़ अमरीकी डालर तक पहुंच गया है, जिसमें 39 लाख 60 हजार से अधिक लोग कार्यरत हैं। हालांकि, भारतीय घरेलू बाजार की कमी के कारण रोजगार वृद्धि सुस्त है। घरेलू बाजार की वृद्धि दर वर्ष के आधार पर, औसतन केवल एक अंक में है। श्रेणी 1 और 2 के शहरों के बाहर आईटी के ढ़ाँचे की कमी, प्रमुख मेट्रो हबों में बुनियादी ढाँचे की कमी, इंटरनेट की कम पैठ, घरेलू आईटी उद्योग के विस्तार में बाधा उत्पन्न कर रही है।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, लगभग 75% भारतीय आईटी उद्योग, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के आउटसोर्सिंग बाजार पर निर्भर है। दुनिया भर में संरक्षणवाद की प्रवृत्ति ने पहले विभिन्न देशों की वीजा नीतियों को प्रभावित किया। भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेजों से हर साल लगभग एक लाख स्नातक निकलते हैं लेकिन आईटी क्षेत्र में नई नौकरियां कम हो गई हैं। आईटी उद्योग में इंजीनियरिंग स्नातकों की खपत पिछले दो वर्षों के दौरान एक नए स्तर को छू गयी।

सामूहिक प्रतिभा की पुरानी पद्धति समाप्त हो गई। पिछले पांच वर्षों में यानी 2013–2018 में यह लगभग 5% ही था। इसके बजाय, आईटी कंपनियों ने कर्मचारियों की उपयोग दरों को पिछले 70–72% से बढ़ाकर 80–85% के नए मानदंड पर कर दिया है। दूसरे शब्दों में, समान श्रमशक्ति का उपयोग करके उन्हें उनसे अधिक काम मिल रहा है। मौजूदा कर्मचारी बदलती प्रौद्योगिकी, कार्य पद्धति, उचित वृद्धि की कमी, पदोन्नति आदि से गंभीर तनाव में हैं।

वर्तमान भाजपानीत एनडीए सरकार, साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेसनीत संप्रग सरकार ने नवउदारवादी नीतियों के प्रति अपनी मुकम्मल प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। रिपोर्ट के अनुसार, 40 लाख कर्मचारियों में से केवल 5 लाख ही डिजिटल कौशल के लिए फिर से कुशल किये गये हैं। एन.सी.आर.बी. की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में, भारतीय निजी क्षेत्र में नौकरी की प्रकृति में बदलाव, नौकरी के तनाव, नौकरी छूटने आदि के कारण हजारों कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं। मजदूरों/कर्मचारियों के हितों की कीमत पर मुनाफे की रक्षा करना/बढ़ाना पूंजीवादी व्यवस्था का अभिन्न अंग है, जिनमें से अब, बदनाम नवउदारवाद इसका नवीनतम चरण है।

कर्मचारियों की स्थितियां

मामूली वेतन वृद्धि और पदोन्नति के कम अवसर अब उद्योग का मॉडल बन गए हैं। मूल घटक के बजाय वेतन में परिवर्तनीय घटकों को बढ़ाया जा रहा है। कुछ कंपनियों ने भी प्रदर्शन का मूल्यांकन, डिजिटल प्रौद्योगिकी कौशल के आधार पर पदोन्नति आदि को फिर से करना शुरू कर दिया है, हाल ही में, कैपजेमिनी ने 0% वृद्धि को प्रस्तावित किया था! आईटीएस कंपनियों की स्थिति और भी खराब है, इनमें कोई उचित वेतन पर्ची नहीं है; पीएफ, ग्रेच्युटी या ईएसआई आदि को अभी लागू किया जा रहा है। घर ले जाने वाले उच्च वेतन के लिए सौदेबाजी के साथ, कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा को एक विकल्प के रूप में छोड़ दिया जाता है।

भारतीय आईटी कंपनियों में जबरन इस्तीफा देना आम हो गया है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, कई ग्राहकों ने फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम (ठेके का 55%) की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जो बदले में, कॉरपोरेट और आईटी कंपनियों को फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमैन्ट के तहत रोजगार देने में मदद करता है। भाजपा सरकार की अधिसूचना सभी क्षेत्रों में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमैन्ट को बढ़ा रही है, जो आईटी के रोजगार में भारी संकट पैदा कर रही है। इसके अलावा, आईटी कर्मचारियों को कैंटीन और शौचालय सुविधाओं सहित कई अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

महिला कर्मचारियों की स्थितियां

आईटी सेक्टर महिलाओं का एक बड़ा नियोक्ता है, जिसमें इसके कर्मचारियों की संख्या 36% है। यद्यपि प्रवेश स्तर पर कार्यबल का 51% महिलाएं होती हैं, लेकिन उनके केरियर में आगे चलकर उनकी उपस्थिति में भारी गिरावट आती है। ऐसा मुख्य रूप से काम के दबाव, कम कौशल और अवसरों की कमी के कारण है। मातृत्व लाभ अधिनियम में हालिया संशोधन ने महिला कर्मचारियों को कुछ हद तक बनाए रखने में सक्षम बनाया है, लेकिन फिर भी उस अवधि को गैर–उत्पादकता समय माना जाता है जब महिला कर्मचारियों को कम रेटिंग, कम से कम वृद्धि और पदोन्नति से वंचित किया जाता है। आईटी क्षेत्र में लिंग के आधार पर वेतन में अंतर 38.2% है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का रोकथाम अधिनियम 2013 के अनुसार शिकायत समितियों को प्रमुख कॉरपोरेटों द्वारा लागू किया गया है, लेकिन कई मध्यम और छोटे स्तर की कंपनियों द्वारा इसे लागू नहीं किया जा रहा है। आईटी कंपनियों ने 65.7% यौन उत्पीड़न के मामले वर्ष 17 में दर्ज किए, रिपोर्ट किए गए शीर्ष के 5 मामलों में से 3 टी.सी.एस., विप्रो और इन्फोसिस में थे।

श्रम कानून का कार्यान्वयन

इस स्थिति से निपटने के लिए श्रम कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के बजाय, सरकारों ने श्रम कानून के कार्यान्वयन से लेकर आईटी क्षेत्र को कई छूटें दी हैं। यहाँ तक कि कैंटीन, शौचालय, एम्बुलेंस, डॉक्टरों जैसे कुछ अनिवार्य प्रावधानों को विषेश रूप से आईटीईएस में लागू नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि अदालत के निर्देशों को भी लागू नहीं किया जाता है।

वैश्विक स्थितियां

वैश्विक रूप से हमने 3.9% की वैश्विक जीडीपी वृद्धि के साथ आर्थिक विकास में सुधार देखा। यह प्रवृत्ति वैश्विक आईटी बाजार और ग्राहक के आईटी खर्च में परिलक्षित होती है। वैश्विक आईटी बाजार में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है और डिजिटल खर्च में वृद्धि के बाद से इसे ऊपर की ओर संशोधित किया जा रहा है। आईटी खर्च में प्रमुख बदलाव विघटनकारी प्रौद्योगिकी की ओर

है। वैश्विक डिजिटल खर्च 2017 में 18,000 करोड़ अमरीकी डालर से 2020 में 31,000 करोड़ अमरीकी डालर तक बढ़ने की उम्मीद है। साल दर साल 20% से अधिक की वृद्धि के साथ यह वैश्विक आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख चालक होगा।

अपने चुनाव के बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने सबसे बड़ी कर कटौती की घोषणा की और संयुक्त राज्य अमेरिका में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए, 'अमेरिका में अमेरिकियों के लिए नौकरियों' की नीति की घोषणा की। भारत में आईटी उद्योग इस नीति के प्रमुख पीड़ितों में से एक है, जिसका रोजगार सृजन पर भारी प्रभाव है। आईटी कंपनियों ने अपने ओडीसीएस (दूरदराज विकास केंद्रों) को बंद कर दिया और अमेरिकी पेशेवरों की भर्ती शुरू कर दी।

ब्रेक्सिट की पृष्ठभूमि में, यूके ने पिछले 40 वर्षों में सबसे कम रोजगार देखा। इसने वीजा व्यवस्था को बदल दिया है जिससे तटवर्ती रोजगार के अवसर प्रभावित हुए हैं।

एशिया में, जापान, इसके बुढ़ापे के कारक के कारण, आईटी पेशेवरों की भारी कमी का सामना कर रहा है। जापान को लगभग 2,00,000 आईटी पेशेवरों की तत्काल आवश्यकता है और 80,00,000 पेशेवरों की माँग की उम्मीद है। चीन अपनी आईटी जरूरतों पर आत्म निर्भर है और डिजिटल शोध को बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। फिलीपींस, बांग्लादेश बीपीओ केंद्रों के लिए केंद्र बना रहे थे। ओईसीडी देश वीजा नीति में बदलाव और सुस्त वृद्धि के साथ मिश्रित प्रवृत्ति की ओर बढ़ते रहे।

कुल मिलाकर ग्राहक का बदलाव 'उद्योग 4.0' की ओर है और विकसित देशों में डिजिटल, वैश्विक आईटी बाजार को चला रहा है।

सख्त वीजा व्यवस्था

दुनिया भर में संरक्षणवाद ने पहले देशों की वीजा नीति को प्रभावित किया। ट्रम्प सरकार ने एच–1बी वीजा के लिए कड़ी वीजा नीति बनाई जिसके कारण दो दशक से भारतीय आईटी कंपनियों के ऑनसाइट–ऑफशोर मॉडल में बदलाव हुआ। आईटी कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों से अधिक स्थानीय लोगों की भर्ती करना शुरू किया। पिछले दो वर्षों में एच–1बी वीजा के उपयोग में लगभग 43% की गिरावट आई थी। इस वीजा नीति ने भारतीय आईटी कर्मचारियों को बुरी तरह प्रभावित किया, कई कॉरपोरेट्स ने भारतीयों को कम करना और अमेरिकियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। हालिया उदाहरण सीटीएस होगा जो भारत में 8000 लोगों को कम करेगा और अमेरिका में इसी संख्या में वृद्धि करेगा।

कार्य का यह स्थानांतरण लेऑफ या बन्दी आदि के कारण नहीं हो रहा है। यह नयी भर्ती को रोककर हो रहा है न कि वर्तमान कर्मचारियों को हटाकर। कई कंपनियों में कुछ कर्मचारियों को जबरन इस्तीफे के विकल्प का उपयोग करके चुपचाप बाहर भेज दिया गया जो हम वेरिजोन एमपीएस आदि में देख ही रहे हैं।

यूनियनाईजेशन और आंदोलनात्मक पहलकदमियाँ

सीटू ने हमेशा आईटी कर्मचारियों को संगठित करने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को माना है। यह कई वर्षों से माँग कर रहा है कि सभी संबंधित श्रम कानूनों को बिना किसी छूट के आईटी क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों में इसने, कानूनी, प्रशासनिक और संगठनात्मक आदि विभिन्न माध्यमों से उनकी शिकायतों के निवारण के उनके प्रयासों का पूरा समर्थन किया है।

2008 के वैश्विक संकट के बाद, जैसा कि प्रबंधन ने अपने लाभ मार्जिन को बनाए रखने और बढ़ाने के अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों पर बोझ को स्थानांतरित किया; इसलिए कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि में कर्मचारियों की सामूहिक कोशिशों में उनकी शिकायतों जैसे कि मातृत्व अवकाश, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, अवैध छंटनी आदि के निवारण के प्रयासों में भी वृद्धि हुई है। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना, पश्चिम बंगाल आदि सहित विभिन्न राज्यों में आईटी/आईटीईएस कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों के गठन में वृद्धि हुई है। कर्नाटक आईटी/आईटीईएस कर्मचारी यूनियन (केआईटीयू) ने मैकमिलन प्रकाशन कंपनी में कर्मचारियों के निष्कासन के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया और इसके कार्यालय पर विरोध ा में प्रदर्शन किए; इसने दो दिन की आम हड़ताल के समर्थन में एक बाइक रैली का आयोजन किया। तमिलनाडु में आईटी/आईटीईएस के कर्मचारियों की यूनियन (यूनाइट) ने वेरिजोन में कर्मचारियों की बर्खास्तगी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, केस दायर करना, नुक्कड़ मीटिंग करना और हस्ताक्षर अभियान चलाया। इसने सवैतनिक प्रसूति अवकाश आदि के मुद्दे पर चेन्नई में एक जुझारु प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ऑफ आईटी/आईटीईएस एम्प्लॉइज (एआइटीइ) ने केरल में एक सक्रिय ट्रेड यूनियन के रूप में काम किया है। एआइटीइ ने टीसीएस में छंटनी के खिलाफ कानूनी रूप से हस्तक्षेप किया और कार्यक्रम को

लगातार आगे बढ़ाने के प्रयास कर रही है। नतीजतन, एलडीएफ सरकार ने आईटी और आईटीईएस कर्मचारियों के लिए एक कल्याण बोर्ड की घोषणा की।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, एयरटेल और वोडाफोन के सेवा केंद्रों में कार्यरत आईटीईएस कर्मचारियों को यूनियन में संगठित किया गया है। सीटू ने उनके प्रयासों का समर्थन किया। नियुक्ति पत्र, बोनस आदि जैसे मुद्दे उठाए गए थे। कर्मचारियों को बकायों और बोनस का भुगतान मिला। पीड़ितों से संबंधित कुछ मुद्दे श्रम न्यायालयों में लंबित हैं। हालांकि कर्मचारियों के साथ समझौता करने और उन्हें मुआवजा देने के कुछ महीनों के बाद, सेवा केंद्र बंद कर दिए गए। पश्चिम बंगाल में, बेस्ट बंगाल आईटी सर्विसेज एसोसिएशन (डब्ल्यू.बी.आइ.एस.टी.ए.), ऑल इंडिया कंप्यूटर ग्राफिक एंड को–वर्कर्स एसोसिएशन (ए.आइ.सी.जी.डब्ल्यू.ए.), ऑल इंडिया आईटी एंड आईटीईएस यूनियन (ए.आइ.आइ.टी.इ.यू.) आईटी कंपनियों के मुद्दों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने विप्रो में आईटी कर्मचारियों की बर्खास्तगी का विरोध किया।

तेलंगाना के एफ.ओ.आर.आई.टी. (फोरम ऑफ आईटी एम्प्लॉइज) ने भी वेरिजोन आदि में छंटनी जैसे मुद्दों पर अभियान और प्रदर्शन आयोजित किए हैं। इन सभी मामलों में सीटू समितियों ने आईटी कर्मचारियों को सभी आवश्यक सहायता और समर्थन प्रदान किया है।

सीटू केंद्र ने नई दिल्ली और बेंगलुरु में आईटी/आईटीईएस कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाने की पहल की। बैठक में विभिन्न स्तरों पर मुद्दों पर चर्चा की गई। बेंगलुरु में आयोजित आईटी कर्मचारियों के बीच कार्यकर्ताओं की बैठक के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया है, ताकि कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इन सभी प्रयासों को समन्वित और मजबूत किया जा सके।

माँगें

- राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की त्रिपक्षीय समितियों का गठन और नैसकॉम और ट्रेड यूनियनों सहित सभी हितधारकों के साथ मुद्दों पर चर्चा; • आईटी कंपनियों को प्रदान की गयी श्रम कानूनों से छूट को रद्द करना; • कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 को लागू करना सुनिश्चित करना; • आईटी कंपनियों में श्रम कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी; • आइटीइएस क्षेत्र को आवश्यक सेवा क्षेत्र से बाहर लाना; • प्रत्येक कंपनी में आंतरिक कमेटी को सक्षम करें; • सभी कंपनियों में डे केयर सुविधा अनिवार्य हो; • काम करने की स्थिति एक बुनियादी अधिकार के रूप में शासकीय आदेश हो; • अधिनियम के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन हो; • आईटीईएस और ई–सेवा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय करें।

समन्वय समिति की बैठक के निर्णय

चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन (सीटू मजदूर; मार्च, 2019) में गठित आइटी–आइटीइएस कर्मचारी यूनियनों की सीटू से जुड़ी राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक 24 मार्च को बेंगलुरु में हुयी। कर्नाटक आईटी यूनियन के अध्यक्ष वीजेके नायर ने अध्यक्षता की और सीटू अध्यक्ष हेमलता ने मार्गदर्शन किया।

समिति के संयोजक के.सी. गोपीकुमार, द्वारा रिपोर्ट रखी गई। आईटी उद्योग, उसके कर्मचारियों की स्थिति, ज्वलंत मुद्दों और कार्यों के लिए सम्मेलन के दस्तावेजों को आंदोलन की कार्रवाई और संगठन का निर्माण करने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में अंतिम रूप दिया गया और इसके लिए अन्य कार्यों – • आईटी, आईटीईएस, ई–सेवा एवं अन्य कर्मचारियों के बीच यूनियन की सदस्यता नामांकन अभियान; • यूनियन में कंपनी–वार समितियाँ बनाना, जहाँ भी संभव हो; • श्रेणी–वार न्यूनतम वेतन की माँगों का निरूपण; • उद्योग की स्थिति पर अध्ययन, विषेश रूप से आईटीईएस के विभिन्न क्षेत्रों और कर्मचारियों की स्थितियों पर; • आईटी उद्योग में कर्मचारियों के लिए स्थायी आदेश का एक प्रारूप तैयार करना; और • अगली बैठक में चर्चा के लिए 'चौथी औद्योगिक क्रांति' के प्रभाव का अध्ययन।

बैठक ने दो तात्कालिक कार्य भी तय किए:

1. बीजेपी को हराने और 2019 के संसदीय चुनावों में वाम दलों को मजबूत करने की आवश्यकता पर आईटी कर्मचारियों के बीच सोशल मीडिया और शारीरिक रूप से अभियान;

समन्वय समिति के सदस्यों सहित नई दिल्ली में सीटू के पी. राममूर्ति ट्रेड यूनियन एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में 28–30 जून, 2019 को संगठन पर 3 दिवसीय आवासीय कार्यशाला आयोजित करने के बारे में। *(द्वारा: केसी गोपीकुमार)*

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,u lh ih vkb

jkT;	dn	tuojh 2018	Qjojh 2019
vk/k ins'k	x.Vj	288	287
	fot ;ckMk	292	291
	fo'kk[kkiÙkue	292	291
vle	MeMek fruliq[k;k	272	272
	xokgkVh	271	272
	ycd flYpj	268	270
	efj;kuh tkjgkV	256	255
	jxkikjk rt ij	248	248
fcgkj	eq?kj&tekyij	336	334
p.Mhx<	p.Mhx<	305	305
NÙkhlx<	fHkykbZ	323	323
fnYyh	fnYyh	292	293
Xkkvk	xkvk	325	329
Xkqtjkr	vgenkckn	278	278
	Hkkouxj	294	292
	jktdkV	295	296
	lwjr	266	266
	oMknjk	272	274
gfj;k.kk	Qjhnkckn	270	272
	;equk uxj	290	290
fgekpy	fgekpy çns'k	266	266
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	273	278
>kj[k.M	ckdkjk	294	294
	fxfjMhg	340	343
	te'knij	348	348
	>fj;k	358	356
	dkMek	380	381
	jkph gfV;k	375	376
dukVd	cyxke	304	303
	cxyi#	294	292
	gcyh /kkjokM	323	324
	ejdjk	309	307
	el lj	311	309
dj y	,.kkdye@vyob	314	314
	e.MkD;ke	309	308
	fDoyku	362	357
e/; çns'k	Hkkiky	322	322
	fNnokMk	297	302
	bnkj	277	278
	tcyij	316	316

jkT;	dn	tuojh 2018	Qjojh 2019
महाराष्ट्र	मुम्बई	300	302
	ukxiqj	383	387
	ukfld	353	357
	iq.k	330	329
	'kkykiqj	320	324
mMhlk	vkxy&rkypj	327	326
	jkmjdyk	307	308
ikfMpfj	ikfMpfj	311	313
itkc	ve`rlj	327	333
	tkyU/kj	318	318
	yqf/k;kuk	289	291
jktLFkku	vtej	284	284
	HkhyokMk	281	283
	t;iqj	297	299
rfeyukMq	pUub	279	278
	dk;EcVj	286	282
	dUuj	325	325
	enjkb	291	292
	lye	292	287
	fr#fpjkiYyh	298	296
rsyxkuk	xknkojh[kkuh	319	321
	gnjkckn	257	257
	okjxy	314	314
f=iqjk	f=iqjk	259	258
mÙkj çns'k	vkxjk	348	349
	xkft;kckn	332	336
	dkuiqj	333	335
	y[kuÅ	325	328
	okjk.klh	322	323
if'pe cxky	vklulky	329	330
	nkftfyx	273	272
	nxkiqj	322	325
	gfYn;k	335	336
	gkoMk	278	281
	tkyikbxMh	277	277
	dkydkrk	284	285
	jkuhxt	289	285
	flyhxMh	269	276
vf[ky Hkkjrh; lpdkd		**307**	**307**

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- एजेंसी – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- भुगतान – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;

- संपर्क: ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com
फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

भारत में मजदूर वर्ग के 'संघर्षों व बलिदानों के 100 वर्ष'

अभिलेखागार से

एटक के संस्थापक अध्यक्ष लाला लाजपत राय के भाषणों से

संस्थापना सम्मेलन में

^^- - - Hkkjrh; etnijk dk jk"Vh; Lrj ij [kn dk lxfBr dju d fy, dkbl le; ugh xokuk pkfg, - - - bl n'k e lcl cMh t:jr g lxfBr gkuk] vkndyu dju vkj f'kf{kr djukA ge viu etnijk dk lxfBr dju pkfg,] mUg oxl d çfr tkx:d dju pkfg, - - -** ^^vku oky dN le; d fy,** ¼etnijk dk lHkh rjg dh lgk;rk vkj ekxn'ku vkj lg;kx dh vko';drk gkxh] ftl mud y{; d Áfr i{k/kj cf) thfo;k l gkfly dj ldr g½** vrr% etnijk dk mud urk [kn d lkfFk;k e l fey tk,xA**

7 नवम्बर 1920 को

^^Hkkjr - - - lxfBr iqth dh rkdrk }kjk yqyqgku fd;k x;k g vkj ijkLr gvk vkt mld iqjk e iMk gA Qk thokn vkj lkekT;okn] iqthokn d tMok cPp g(o rhu e ,d vkj ,d e rhu gA mudh Nk;k] mud Qy vkj mudh Nky lHkh dN tgjhyk gA ;g doy gky gh e crk;k x;k g fd ,d fo"kuk'kd dk [kkstk x;k g vkj ;g fo"kuk'kd lxfBr etnj gA**

राष्ट्रवादियों का भारतीय उद्यमों में मजदूरों के प्रति रवैया

Þge vDlj crk;k tkrk g fd eupLVj vkj tkiku d lkFk lQyrkiod çfrLi/kk dju d fy,] ml ed ln d fy, Hkkjr e iqth dk ykHk dh mPp nj vkj lLr Je dh vuefr nuk vko';d g - - - ge bl nyhy dh o/krk dk Lohdkj dju d fy, rS;kj ugh g - - - n'kHkfä dh vihy veh vkj xjhc dk leku :i l çHkkfor djrh g] okLro e] xjhc l T;knk veh - - - fuf'pr :i l - - - Hkkjrh; m|kxk dk fodkl dju dk rjhdk - - - vdy Je dh dher ij - - - ¼ugh½ - - - Hkkjrh; iqthifr dk Je l chp e feyuk pkfg,] vkj eukQ dk mfpr vuikr e lk>k dju d vk/kkj ij le>nkjh cukuh pkfg, - - - vxj] fQj Hkh] Hkkjrh; iqth] etnijk dh t:jrk dk utjvnkt dju pkgrh g vkj doy viu Hkkjh eukQ d ckj e lkprh g] rk ml etnijk l fdlh çfrfØ;k vkj vke turk l fdlh lgkuHkfr dh mEehn ugh djuh pkfg,A**

संस्थापना सम्मेलन की घोषणा का आह्वान

^^Hkkjr d etnijk! - - - vkid n'k d urk Lojkt dh ekx dj jg g] vkidk bldh x.kuk l vyx dju d fy, mUg NkMuk ugh pkfg,A vkid fy, vkfFkd Lor=rk d fcuk jktuhfrd Lor=rk dk dkbl vFk ugh gA blfy, vki jk"Vh; Lor=rk d fy, vknkyu dh mi{kk Hkh ugh dj ldrA vki ml vknkyu dk vfHkUu fgLlk gA vki doy viuh Lor=rk d ldV dh dher ij gh bldh mi{kk dj jg gkxA**

लाहौर में लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज

मेरठ केस के कैदी जेल के सामने

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-20 20 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication -05/05/2019)

भारत में मजदूर वर्ग के 'संघर्षों व बलिदानों के 100 वर्ष'

अभिलेखागार से

''साइमन कमीशन वापस जाओ''

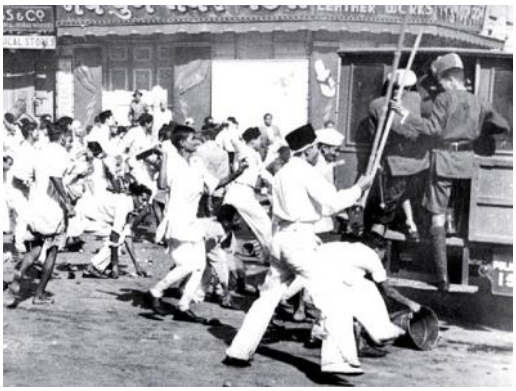

नौसेना विद्रोह में मजदूरों व जनता की बगावत

और अब

8–9 जनवरी, 2019 दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों द्वारा देशव्यापी हड़ताल

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग की एकजुटता

(रिपोर्ट पृ. 19)

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : के हेमलता